

नए भारतीय आपराधिक कानून

जाँच अधिकारियों के लिए निर्देश पुस्तिका



सत्यमेव जयते



चण्डीगढ़ पुलिस

वी केयर फॉर यू

संदेश



भारतीय संसद में 22 दिसंबर 2023 को तीन नए क्रिमिनल कानूनों को पारित किया गया, जिनमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के शब्दों में ये तीन नए कानून आज़ाद भारत में 'दंड से न्याय' के सफ़र में मील का पत्थर साबित होंगे। माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में देश की न्याय प्रणाली में तीन नए क्रिमिनल कानून के लागू होने से आमूलचूल परिवर्तन होना निश्चित है।

नए क्रिमिनल कानून को प्रभावशाली तरीके से लागू करने के लिए हमारी कार्यप्रणाली में कुछ मूलभूत परिवर्तन करना आवश्यक है। हमारे जाँच अधिकारियों की इन कानूनों के विषय में पर्याप्त जानकारी एवं ट्रेनिंग अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने तीन नए अपराधिक कानूनों के सरल विवरण को हिन्दी, अंग्रेज़ी और पंजाबी भाषाओं में एक पुस्तिका के रूप में तैयार किया है, जो जाँच अधिकारियों को आपराधिक विवेचना में उचित मार्गदर्शन देगी। मुझे उम्मीद है कि 3 नए कानून के लागू होने की दिशा में यह पुस्तिका हमारे पुलिसकर्मियों के कार्य प्रणाली को और प्रभावी बनाने में उचित सहायता प्रदान करेगी।

Kanjan

प्रवीर रंजन

पुलिस महानिदेशक
यू. टी., चण्डीगढ़

नए भारतीय आपराधिक कानून

- भारतीय न्याय संहिता, 2023
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

भारतीय न्याय संहिता
2023

तुलनात्मक तालिका

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 और
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की सम्बन्धित प्रावधानों की तुलना

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 1 | संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार | 1(1)/(2) | संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना |
| 2 | भारत के भीतर किए गए अपराधों का दण्ड | 1(3) | संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना |
| 3 | भारत से परे किये गये किन्तु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दण्ड | 1(4) | संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना |
| 4 | राज्यक्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार | 1(5) | संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना |
| 5 | कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना | 1(6) | संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना |
| 6 | संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्यधीन समझा जाना | 3(1) | साधारण स्पष्टीकरण |
| 7 | एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव | 3(2) | साधारण स्पष्टीकरण |
| 8 | लिंग | 2(10) | लिंग |
| 9 | वचन | 2(22) | वचन |
| 10 | “पुरुष”, “स्त्री” | 2(19) 2(35) | “पुरुष” “स्त्री” |
| 11 | “व्यक्ति” | 2(26) | “व्यक्ति” |
| 12 | “लोक” | 2(27) | “लोक” |
| 13 | “क्वीन” की परिभाषा | — | — |
| 14 | “सरकार का सेवक” | — | — |
| 15 | “ब्रिटिश इन्डिया” की परिभाषा | — | — |
| 16 | “गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया” की परिभाषा | — | — |
| 17 | “सरकार” | 2(12) | “सरकार” |
| 18 | “भारत” | — | — |
| 19 | “न्यायाधीश” | 2(16) | “न्यायाधीश” |
| 20 | “न्यायालय” | 2(5) | “न्यायालय” |
| 21 | “लोक सेवक” | 2(28) | “लोक सेवक” |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय वण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|---|---------------------------|---|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 22 | "जंगम सम्पत्ति" | 2(21) | "जंगम सम्पत्ति" |
| 23, पैरा 1 | "सदोष अभिलाभ" | 2(36) | "सदोष अभिलाभ" |
| 23, पैरा 2 | "सदोष हानि" | 2(37) | "सदोष हानि" |
| 23, पैरा 3 | सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना | 2(38) | सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना |
| 24 | "बेईमानी से" | 2(7) | "बेईमानी से" |
| 25 | "कपटपूर्वक" | 2(9) | "कपटपूर्वक" |
| 26 | "विश्वास करने का कारण" | 2(29) | "विश्वास करने का कारण" |
| 27 | "पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में सम्पत्ति" | 3(3) | साधारण स्पष्टीकरण |
| 28 | "कूटकरण" | 2(4) | "कूटकरण" |
| 29 | "दस्तावेज" | 2(8) | "दस्तावेज" |
| 29क | "इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख" | 2(39) | उन शब्दों और पदों के |
| 30 | "मूल्यवान प्रतिभूति" | 2(31) | "मूल्यवान प्रतिभूति" |
| 31 | "विल" | 2(34) | "विल" |
| 32 | कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अन्तर्गत अवैध लोप आता है | 2(1) 3(4) | "कार्य" साधारण स्पष्टीकरण |
| 33 | "कार्य", "लोप" | 2(1) 2(25) | "कार्य" "लोप" |
| 34 | सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य | 3(5) | साधारण स्पष्टीकरण |
| 35 | जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है | 3(6) | साधारण स्पष्टीकरण |
| 36 | अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम | 3(7) | साधारण स्पष्टीकरण |
| 37 | किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना | 3(8) | साधारण स्पष्टीकरण |
| 38 | आपराधिक कार्य में संपुक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे | 3(9) | साधारण स्पष्टीकरण |
| 39 | "स्वेच्छया" | 2(33) | "स्वेच्छया" |
| 40 | "अपराध" | 2(24) | "अपराध" |
| 41 | "विशेष विधि" | 2(30) | "विशेष विधि" |
| 42 | "स्थानीय विधि" | 2(18) | "स्थानीय विधि" |
| 43 | "अवैध", "करने के लिए वैध रूप से आबद्ध" | 2(15) | "अवैध" और "करने के लिए वैध रूप से आबद्ध" |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|---|---------------------------|---|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 44 | “क्षति” | 2(14) | “क्षति” |
| 45 | “जीवन” | 2(17) | “जीवन” |
| 46 | “मृत्यु” | 2(6) | “मृत्यु” |
| 47 | “जीव-जन्तु” | 2(2) | “जीव-जन्तु” |
| 48 | “जलयान” | 2(32) | “जलयान” |
| 49 | “वर्ष” या “मास” | 2(20) | “मास” या “वर्ष” |
| 50 | “धारा” | — | — |
| 51 | “शपथ” | 2(23) | “शपथ” |
| 52 | “सद्भावपूर्वक” | 2(11) | “सद्भावपूर्वक” |
| 52क | “संश्रय” | 2(13) | “संश्रय” |
| 53 | “दण्ड” | 4 | दण्ड |
| 53क | निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना | — | — |
| 54 | मृत्यु दण्डादेश का लघुकरण | 5 | दण्डादेश का लघुकरण |
| 55 | आजीवन कारावास के दण्डादेश का लघुकरण | 5 | दण्डादेश का लघुकरण |
| 55क | “समुचित सरकार” की परिभाषा | स्पष्टी. से धारा 5 | दण्डादेश का लघुकरण |
| 56 | यूरोपियों तथा अमेरिकियों को कठोर श्रम कारावास का दण्डादेश दस वर्ष से अधिक किन्तु जो आजीवन कारावास से अधिक न हो, दण्डादेश के सम्बन्ध में परन्तुक | — | — |
| 57 | दण्डावधियों की भिन्न | 6 | दण्डावधियों की भिन्न |
| 58 | निर्वासन से दण्डादिष्ट अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जब तक वे निर्वासित न कर दिए जाएं | — | — |
| 59 | कारावास के बदले निर्वासन | — | — |
| 60 | दण्डादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में सम्पूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा | 7 | दण्डादिष्ट (कारावास के कतिपय मामलों में) सम्पूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा |
| 61 | संपत्ति के समपहरण का दण्डादेश | — | — |
| 62 | मृत्यु, निर्वासन या कारावास से दण्डनीय अपराधियों की बाबत सम्पत्ति का समपहरण | — | — |
| 63 | जुर्माने की रकम | 8(1) | जुर्माने की रकम, जुर्माना, आदि देने में व्यतिक्रम |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|---|---------------------------|---|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 64 | जुर्माना न देने पर कारावास का दण्डादेश | 8(2) | जुर्माने की रकम, जुर्माना, आदि देने में व्यतिक्रम |
| 65 | जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि | 8(3) | जुर्माने की रकम, जुर्माना, आदि देने में व्यतिक्रम |
| 66 | जुर्माना न देने पर किस भाँति का कारावास दिया जाये | 8(4) | जुर्माने की रकम, जुर्माना, आदि देने में व्यतिक्रम |
| 67 | जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो | 8(5) | जुर्माने की रकम, जुर्माना, आदि देने में व्यतिक्रम |
| 68 | जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान (समाप्त) हो जाना | 8(6)(क) | जुर्माने की रकम, जुर्माना, आदि देने में व्यतिक्रम |
| 69 | जुर्माने की आनुपातिक भाग के दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान | 8(6)(ख) | जुर्माने की रकम, जुर्माना, आदि देने में व्यतिक्रम |
| 70 | जुर्माने का छह वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रहणीय होना—सम्पत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती | 8(7) | जुर्माने की रकम, जुर्माना, आदि देने में व्यतिक्रम |
| 71 | कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दण्ड की अवधि | 9 | कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दण्ड की अवधि |
| 72 | कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दण्ड जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह सन्देह है कि वह किस अपराध का दोषी है | 10 | कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दण्ड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है |
| 73 | एकान्त परिरोध | 11 | एकांत परिरोध |
| 74 | एकान्त परिरोध की अवधि | 12 | एकांत परिरोध की अवधि |
| 75 | पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दण्ड | 13 | पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दण्ड |
| 76 | विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य | 14 | विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य |
| 77 | न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य | 15 | न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य |
| 78 | न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य | 16 | न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य |
| 79 | विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य | 17 | विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|---|---------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 80 | विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना | 18 | विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना |
| 81 | कार्य, जिससे अपहानि कारित होना सम्भाव्य है, किन्तु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है | 19 | कार्य, जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, किन्तु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है |
| 82 | सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य | 20 | सात वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य |
| 83 | सात वर्ष से ऊपर किन्तु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य | 21 | सात वर्ष से ऊपर, किन्तु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का कार्य |
| 84 | विकृतचित्त व्यक्ति का कार्य | 22 | विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य |
| 85 | ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुँचने में असमर्थ है | 23 | ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुँचने में असमर्थ है |
| 86 | किसी व्यक्ति द्वारा, जो मत्तता में है, किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है | 24 | किसी व्यक्ति द्वारा, मत्तता में किया गया अपराध, जिसमें विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है |
| 87 | सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी सम्भाव्यता का ज्ञान हो | 25 | सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो |
| 88 | किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है | 26 | किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य, जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है |
| 89 | संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य | 27 | संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से बालक या विकृत चित्त वाले व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य |
| 90 | सम्मति, जिसके सम्बन्ध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है | 28 | सम्मति, जिसके सम्बन्ध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है |
| 91 | ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है | 29 | ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है |
| 92 | सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य | 30 | सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य |
| 93 | सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना | 31 | सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना |
| 94 | वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है | 32 | वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है |
| 95 | तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य | 33 | तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य |
| 96 | प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें | 34 | प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|--|---------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 97 | शरीर तथा सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार | 35 | शरीर तथा सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार |
| 98 | ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृतचित्त आदि हो | 36 | ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृतचित्त आदि हो |
| 99 | कार्य, जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है | 37 | कार्य, जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है |
| 100 | शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है | 38 | शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है |
| 101 | कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है | 39 | कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है |
| 102 | शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना | 40 | शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना |
| 103 | कब सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है | 41 | कब सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है |
| 104 | ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है | 42 | ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है |
| 105 | सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना | 43 | सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना |
| 106 | घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम है | 44 | घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम है |
| 107 | किसी बात का दुष्प्रेरण | 45 | किसी बात का दुष्प्रेरण |
| 108 | दुष्प्रेरक | 46 | दुष्प्रेरक |
| 108क | भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण | 47 | भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण |
| 109 | दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप किया जाए, और जहां कि उसके दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है | 49 | दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप किया जाए, और जहां कि उसके दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है |
| 110 | दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है | 50 | दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है |
| 111 | दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है | 51 | दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|--|---------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 112 | दुष्प्रेरित कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दण्ड से दण्डनीय है | 52 | दुष्प्रेरित कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दण्ड से दण्डनीय है |
| 113 | दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो | 53 | दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो |
| 114 | अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति | 54 | अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति |
| 115 | मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण—यदि अपराध नहीं किया जाता | 55 | मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण |
| 116 | कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण—यदि अपराध न किया जाए | 56 | कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण |
| 117 | लोक साधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण | 57 | लोक साधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण |
| 118 | मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना | 58 | मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना |
| 119 | किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है | 59 | किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है |
| 120 | कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना | 60 | कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना |
| 120क | आपराधिक षड्यन्त्र की परिभाषा | 61(1) | आपराधिक षड्यन्त्र |
| 120ख | आपराधिक षड्यन्त्र का दण्ड | 61(2) | आपराधिक षड्यन्त्र |
| 121 | भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना | 147 | भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना |
| 121क | धारा 121 द्वारा दण्डनीय अपराधों को करने का षड्यन्त्र | 148 | धारा 147 द्वारा दण्डनीय अपराधों को करने का षड्यन्त्र |
| 122 | भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना | 149 | भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना |
| 123 | युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना | 150 | युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना |
| 124 | किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना | 151 | किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|---|---------------------------|---|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 124क | राजद्रोह | -- | -- |
| 125 | भारत सरकार से मैत्री सम्बन्ध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना | 153 | भारत सरकार से मैत्री सम्बन्ध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना |
| 126 | भारत सरकार के साथ शान्ति का सम्बन्ध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना | 154 | भारत सरकार के साथ शान्ति का सम्बन्ध रखने वाले विदेशी राज्य के राज्यक्षेत्र में लूटपाट करना |
| 127 | धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई सम्पत्ति प्राप्त करना | 155 | धारा 153 और धारा 154 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई सम्पत्ति प्राप्त करना |
| 128 | लोक सेवक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना | 156 | लोक सेवक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना |
| 129 | उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना | 157 | उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना |
| 130 | ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना | 158 | ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना |
| 131 | विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्त्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना | 159 | विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्त्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना |
| 132 | विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह किया जाए | 160 | विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह किया जाए |
| 133 | सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ आफिसर पर जबकि वह आफिसर अपने पद-निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण | 161 | सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी पर जबकि वह अधिकारी अपने पद-निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण |
| 134 | ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए | 162 | ऐसे हमले का दुष्प्रेरण, यदि हमला किया जाए |
| 135 | सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण | 163 | सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण |
| 136 | अभित्याजक को संश्रय देना | 164 | अभित्याजक को संश्रय देना |
| 137 | मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक | 165 | मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक |
| 138 | सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण | 166 | सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण |
| 138क | पूर्वोक्त धाराओं का भारतीय सामुद्रिक सेवा को लागू होना | -- | -- |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|--|---------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 139 | कुछ अधिनियमों के अध्यक्षीन व्यक्ति | 167 | कतिपय अधिनियमों के अध्यक्षीन व्यक्ति |
| 140 | सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना | 168 | सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना |
| 141 | विधिविरुद्ध जमाव | 189(1) | विधिविरुद्ध जमाव |
| 142 | विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होना | 189(2) | विधिविरुद्ध जमाव |
| 143 | दण्ड | 189(2) | विधिविरुद्ध जमाव |
| 144 | घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना | 189(4) | विधिविरुद्ध जमाव |
| 145 | किसी विधिविरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसको बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना | 189(3) | विधिविरुद्ध जमाव |
| 146 | बल्वा करना | 191(1) | बल्वा करना |
| 147 | बल्वा करने के लिए दण्ड | 191(2) | बल्वा करना |
| 148 | घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना | 191(3) | बल्वा करना |
| 149 | विधिविरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी | 190 | विधिविरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी |
| 150 | विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मौनानुकूलता | 189(6) | विधिविरुद्ध जमाव |
| 151 | पांच या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात् उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना | 189(5) | विधिविरुद्ध जमाव |
| 152 | लोक सेवक जब बल्वे इत्यादि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना | 195(1) | लोक सेवक जब बल्वे इत्यादि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना |
| 153 | बल्वा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना—यदि बल्वा किया जाए—यदि बल्वा न किया जाए | 192 | बल्वा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना—यदि बल्वा किया जाए; यदि बल्वा न किया जाए |
| 153क | धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना | 196 | धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|---|---------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 153कक | किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेना | — | — |
| 153ख | राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान | 197 | राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान |
| 154 | उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी, जिस पर विधिविरुद्ध जमाव किया गया है | 193(1) | उस भूमि के स्वामी, अधिभोगी आदि जिस पर विधिविरुद्ध जमाव का बल्ला किया गया है का दायित्व |
| 155 | उस व्यक्ति का दायित्व, जिसके फायदे के लिए बल्ला किया जाता है | 193(2) | उस भूमि के स्वामी, अधिभोगी आदि जिस पर विधिविरुद्ध जमाव का बल्ला किया गया है का दायित्व |
| 156 | उस स्वामी या अधिभोगी के अधिकर्ता का दायित्व, जिसके फायदे के लिए बल्ला किया जाता है | 193(3) | उस भूमि के स्वामी, अधिभोगी आदि जिस पर विधिविरुद्ध जमाव का बल्ला किया गया है का दायित्व |
| 157 | विधिविरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना | 189(7) | विधिविरुद्ध जमाव |
| 158 | विधिविरुद्ध जमाव या बल्ले में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना | 189(8)/ 189(9) | विधिविरुद्ध जमाव |
| 159 | दंगा | 194(1) | दंगा |
| 160 | दंगा करने के लिए दण्ड | 194(2) | दंगा |
| 161. से 165क तक | [निरसित] | — | — |
| 166 | लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है | 198 | लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है |
| 166क | लोक सेवक, जो विधि के अधीन के निदेश की अवज्ञा करता है | 199 | लोक सेवक, जो विधि के अधीन निदेश की अवज्ञा करता है |
| 166ख | पीड़ित का उपचार न करने के लिए दण्ड | 200 | पीड़ित का उपचार न करने के लिए दण्ड |
| 167 | लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है | 201 | लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है |
| 168 | लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है | 202 | लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में लगा है |
| 169 | लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से सम्पत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है | 203 | लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से सम्पत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|---|---------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 170 | लोक सेवक का प्रतिरूपण | 204 | लोक सेवक का प्रतिरूपण |
| 171 | कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन धारण करना | 205 | कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन धारण करना |
| 171क | “अभ्यर्थी”, “निर्वाचन अधिकार” परिभाषित | 169 | अभ्यर्थी, निर्वाचन अधिकार परिभाषित |
| 171ख | रिश्वत | 170 | रिश्वत |
| 171ग | निर्वाचनों में असम्यक् असर डालना | 171 | निर्वाचनों में असम्यक् असर डालना |
| 171घ | निर्वाचनों में प्रतिरूपण | 172 | निर्वाचनों में प्रतिरूपण |
| 171ङ | रिश्वत के लिए दण्ड | 173 | रिश्वत के लिए दण्ड |
| 171च | निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड | 174 | निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड |
| 171छ | निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन | 175 | निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन |
| 171ज | निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय | 176 | निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय |
| 171झ | निर्वाचन लेखा रखने में असफलता | 177 | निर्वाचन लेखा रखने में असफलता |
| 172 | समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना | 206 | समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना |
| 173 | समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना | 207 | समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना |
| 174 | लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर-हाजिर रहना | 208 | लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर-हाजिर रहना |
| 174क | 1974 के अधिनियम 2 की धारा 82 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर-हाजिरी | 209 | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के जवाब में गैर-हाजिरी |
| 175 | दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने का लोप | 210 | दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को पेश करने का लोप |
| 176 | सूचना या इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तिला देने का लोप | 211 | विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तिला देने का लोप |
| 177 | मिथ्या इत्तिला देना | 212 | मिथ्या इत्तिला देना |
| 178 | शपथ या प्रतिज्ञान से इन्कार करना, जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किया जाए | 213 | शपथ या प्रतिज्ञान से इन्कार करना, जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किया जाए |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|--|---------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 179 | प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इंकार करना | 214 | प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इंकार करना |
| 180 | कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार | 215 | कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार |
| 181 | शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के, या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन | 216 | शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के, या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन |
| 182 | इस आशय से मिथ्या इतिला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे | 217 | इस आशय से मिथ्या इतिला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे |
| 183 | लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा सम्पत्ति लिए जाने का प्रतिरोध | 218 | लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा सम्पत्ति लिए जाने का प्रतिरोध |
| 184 | लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रतिस्थापित की गई सम्पत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना | 219 | लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रतिस्थापित की गई सम्पत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना |
| 185 | लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई सम्पत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना | 220 | लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई सम्पत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना |
| 186 | लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना | 221 | लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना |
| 187 | लोक सेवक की सहायता करने का लोप, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो | 222 | लोक सेवक की सहायता करने का लोप, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो |
| 188 | लोक सेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा | 223 | लोक सेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा |
| 189 | लोक सेवक को क्षति करने की धमकी | 224 | लोक सेवक को क्षति करने की धमकी |
| 190 | लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी | 225 | लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी |
| 191 | मिथ्या साक्ष्य देना | 227 | मिथ्या साक्ष्य देना |
| 192 | मिथ्या साक्ष्य गढ़ना | 228 | मिथ्या साक्ष्य गढ़ना |
| 193 | मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड | 229 | मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड |
| 194 | मृत्यु से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना | 230 | मृत्यु से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना |
| 195 | आजीवन कारावास या कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना | 231 | आजीवन कारावास या कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|--|---------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 195क | किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना | 232 | किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना |
| 196 | उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है | 233 | उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है |
| 197 | मिथ्या प्रमाणपत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना | 234 | मिथ्या प्रमाणपत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना |
| 198 | प्रमाणपत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, सच्चे के रूप में काम में लाना | 235 | प्रमाणपत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, सत्य के रूप में काम में लाना |
| 199 | ऐसी घोषणा में, जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, किया गया मिथ्या कथन | 236 | ऐसी घोषणा में, जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, किया गया मिथ्या कथन |
| 200 | ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में काम में लाना | 237 | ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सत्य के रूप में काम में लाना |
| 201 | अपराध के साक्ष्य का विलोपन, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देना | 238 | अपराध के साक्ष्य का विलोपन, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देना |
| 202 | इत्तिला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का साशय लोप | 239 | इत्तिला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का जानबूझकर लोप |
| 203 | किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तिला देना | 240 | किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तिला देना |
| 204 | साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना | 241 | साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना |
| 205 | वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण | 242 | वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण |
| 206 | सम्पत्ति को समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना | 243 | सम्पत्ति को समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना |
| 207 | सम्पत्ति पर उसके समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा | 244 | सम्पत्ति पर उसके समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा |
| 208 | ऐसी राशि के लिए जो शोध्य न हो कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना | 245 | ऐसी राशि के लिए, जो शोध्य न हो, कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना |
| 209 | बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना | 246 | बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना |
| 210 | ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना | 247 | ऐसी राशि के लिए, जो शोध्य नहीं है, कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना |
| 211 | क्षति कारित करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप | 248 | क्षति कारित करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप |
| 212 | अपराधी को संश्रय देना | 249 | अपराधी को संश्रय देना |

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|--|---------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 213 | अपराधी को दण्ड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना | 250 | अपराधी को दण्ड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना |
| 214 | अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन | 251 | अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन |
| 215 | चोरी की सम्पत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना | 252 | चोरी की सम्पत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना |
| 216 | ऐसे अपराधी को संश्रय देना, जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है | 253 | ऐसे अपराधी को संश्रय देना, जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है |
| 216क | लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति | 254 | लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति |
| 216ख | धारा 212, धारा 216 और धारा 216-क में "संश्रय" की परिभाषा | — | — |
| 217 | लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दण्ड से या किसी सम्पत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा | 255 | लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दण्ड से या किसी सम्पत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा |
| 218 | किसी व्यक्ति को दण्ड से या किसी सम्पत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना | 256 | किसी व्यक्ति को दण्ड से या किसी सम्पत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना |
| 219 | न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना | 257 | न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना |
| 220 | प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी | 258 | प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी |
| 221 | पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप | 259 | पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का जानबूझकर लोप |
| 222 | दण्डादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप | 260 | दण्डादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का जानबूझकर लोप |
| 223 | लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना | 261 | लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना |
| 224 | किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा | 262 | किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|---|---------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 225 | किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा | 263 | किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा |
| 225क | उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबन्ध नहीं है लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना | 264 | उन दशाओं में, जिनके लिए अन्यथा उपबन्ध नहीं है, लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना |
| 225ख | अन्यथा अनुपबन्धित दशाओं में विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना | 265 | अन्यथा अनुपबन्धित दशाओं में विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना |
| 226 | निर्वासन से विधि विरुद्ध वापसी | — | — |
| 227 | दण्ड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण | 266 | दण्ड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण |
| 228 | न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न | 267 | न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न |
| 228क(1)/ (2) | कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण | 72 | कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण |
| 228क(3) | कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण | 73 | अनुज्ञा के बिना न्यायालय की कार्यवाहियां में संबंधित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन करना |
| 229 | जूरी सदस्य या असेसर का प्रतिरूपण | 268 | असेसर का प्रतिरूपण |
| 229क | जमानत या बन्धपत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता | 269 | जमानत पत्र या बन्धपत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता |
| 230 | "सिक्का" की परिभाषा | 178 | सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण |
| 231 | सिक्के का कूटकरण | 178 | सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण |
| 232 | भारतीय सिक्के का कूटकरण | 178 | सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण |
| 233 | सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना | 181 | लिखत या कूटरचना के लिए सामग्री या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को बनाना या कब्जे में रखना |

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|---|---------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 234 | भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना | 181 | लिखत या कूटरचना के लिए सामग्री या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को बनाना या कब्जे में रखना |
| 235 | सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना | 181 | लिखत या कूटरचना के लिए सामग्री या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को बनाना या कब्जे में रखना |
| 236 | भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण | — | — |
| 237 | कूटकृत सिक्के का आयात या निर्यात | — | — |
| 238 | भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात या निर्यात | — | — |
| 239 | सिक्के का परिदान, जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था | 179 | कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना |
| 240 | उस भारतीय सिक्के का परिदान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था | 179 | कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना |
| 241 | किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिदान, जिसका परिदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था, कूटकृत होना नहीं जानता था | 179 | कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना |
| 242 | कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था | 180 | कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना |
| 243 | भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकृत होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था | 180 | कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना |
| 244 | टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन का या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है | 187 | टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है |
| 245 | टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेना | 188 | टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेना |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|---|---------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 246 | कपटपूर्ण या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना | 178 | सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण |
| 247 | कपटपूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना | 178 | सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण |
| 248 | इस आशय से किसी सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए | 178 | सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण |
| 249 | इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए | 178 | सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण |
| 250 | ऐसे सिक्के का परिदान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है | 179 | कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना |
| 251 | भारतीय सिक्के का परिदान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है | 179 | कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना |
| 252 | ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया | 180 | कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना |
| 253 | ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया | 180 | कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना |
| 254 | सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिदान, जिसका परिदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था, परिवर्तित होना नहीं जानता था | 179 | कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना |
| 255 | सरकारी स्टाम्प का कूटकरण | 178 | सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण |
| 256 | सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री को कब्जे में रखना | 181 | लिखत या कूटरचना के लिए सामग्री या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को बनाना या कब्जे में रखना |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय वण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|--|---------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 257 | सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना | 181 | लिखत या कूटरचना के लिए सामग्री या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को बनाना या कब्जे में रखना |
| 258 | कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय | 179 | कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना |
| 259 | सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना | 180 | कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना |
| 260 | किसी सरकारी स्टाम्प को, कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना | 179 | कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना |
| 261 | इस आशय से कि सरकार को हानि कारित हो, उस पदार्थ पर से, जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है | 183 | सरकार को हानि कारित करने के आशय से, उस पदार्थ पर से, जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना, जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है |
| 262 | ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है | 184 | ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग, जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है |
| 263 | स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिन्ह को छीलकर मिटाना | 185 | स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिन्ह को छीलकर मिटाना |
| 263क | बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध | 186 | बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध |
| 264 | तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग | — | — |
| 265 | खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग | — | — |
| 266 | खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना | — | — |
| 267 | खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना | — | — |
| 268 | लोक न्यूसेंस | 270 | लोक न्यूसेंस |
| 269 | उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना सम्भाव्य हो | 271 | उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना सम्भाव्य हो |
| 270 | परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना सम्भाव्य हो | 272 | परिद्वेषपूर्ण कार्य, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना सम्भाव्य हो |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|--|---------------------------|---|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 271 | करन्तीन के नियम की अवज्ञा | 273 | क्वॉरंटाइन के नियम की अवज्ञा |
| 272 | विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण | 274 | विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण |
| 273 | अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय | 275 | अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय |
| 274 | औषधियों का अपमिश्रण | 276 | औषधियों का अपमिश्रण |
| 275 | अपमिश्रित औषधियों का विक्रय | 277 | अपमिश्रित औषधियों का विक्रय |
| 276 | औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय | 278 | औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय |
| 277 | लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना | 279 | लोक जल-स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना |
| 278 | वायुमण्डल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना | 280 | वायुमण्डल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना |
| 279 | लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हँकना | 281 | लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हँकना |
| 280 | जलयान को उतावलेपन से चलाना | 282 | जलयान को उतावलेपन से चलाना |
| 281 | भ्रामक प्रकाश, चिन्ह या बोये का प्रदर्शन | 283 | भ्रामक प्रकाश, चिन्ह या बोये का प्रदर्शन |
| 282 | अक्षेमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहण | 284 | अक्षेमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहण |
| 283 | लोक मार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या बाधा | 285 | लोक मार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या बाधा |
| 284 | विषैले पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण | 286 | विषैले पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण |
| 285 | अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण | 287 | अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण |
| 286 | विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण | 288 | विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण |
| 287 | मशीनरी के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण | 289 | मशीनरी के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण |
| 288 | किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण | 290 | किसी निर्माण को गिराने, उसकी मरम्मत करने या संनिर्माण करने के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण |
| 289 | जीव-जन्तु के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण | 291 | जीव-जन्तु के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण |
| 290 | अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दण्ड | 292 | अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दण्ड |
| 291 | न्यूसेंस बन्द करने के व्यादेश के पश्चात् उसका चालू रखना | 293 | न्यूसेंस बन्द करने के व्यादेश के पश्चात् उसका चालू रखना |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|--|---------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 292 | अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि | 294 | अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि |
| 293 | तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि | 295 | बालक को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि |
| 294 | अश्लील कार्य और गाने | 296 | अश्लील कार्य और गाने |
| 294क | लाटरी कार्यालय रखना | 297 | लाटरी कार्यालय रखना |
| 295 | किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना | 298 | किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना |
| 295क | विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों | 299 | विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों |
| 296 | धार्मिक जमाव में विघ्न करना | 300 | धार्मिक जमाव में विघ्न करना |
| 297 | कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना | 301 | कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना |
| 298 | धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि | 302 | किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि |
| 299 | आपराधिक मानव वध | 100 | आपराधिक मानव वध |
| 300 | हत्या | 101 | हत्या |
| 301 | जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध | 102 | जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध |
| 302 | हत्या के लिए दण्ड | 103(1) | हत्या के लिए दण्ड |
| 303 | आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड | 104 | आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड |
| 304 | हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड | 105 | हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड |
| 304क | उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना | 106 | उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना |
| 304ख | दहेज मृत्यु | 80 | दहेज मृत्यु |
| 305 | शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण | 107 | बालक या विकृतचित्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण |
| 306 | आत्महत्या का दुष्प्रेरण | 108 | आत्महत्या का दुष्प्रेरण |
| 307 | हत्या करने का प्रयत्न | 109 | हत्या करने का प्रयत्न |
| 308 | आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न | 110 | आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न |
| 309 | आत्महत्या करने का प्रयत्न | — | — |
| 310 | ठग | — | — |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|---|---------------------------|---|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 311 | दण्ड | — | — |
| 312 | गर्भपात कारित करना | 88 | गर्भपात कारित करना |
| 313 | स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना | 89 | महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना |
| 314 | गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु | 90 | गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु |
| 315 | शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य | 91 | बालक का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य |
| 316 | ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना | 92 | ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात बालक की मृत्यु कारित करना |
| 317 | शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का अरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग | 93 | बालक के पिता या माता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के बालक का अरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग |
| 318 | मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना | 94 | मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना |
| 319 | उपहति | 114 | उपहति |
| 320 | घोर उपहति | 116 | घोर उपहति |
| 321 | स्वेच्छया उपहति कारित करना | 115(1) | स्वेच्छया उपहति कारित करना |
| 322 | स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना | 117(1) | स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना |
| 323 | स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड | 115(2) | स्वेच्छया उपहति कारित करना |
| 324 | खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना | 118(1) | खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना |
| 325 | स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दण्ड | 117(1) | स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना |
| 326 | खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना | 118(2) | खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना |
| 326क | अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना | 124(1) | अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना |
| 326ख | स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना | 124(2) | अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना |
| 327 | सम्पत्ति उद्घापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना | 119(1) | सम्पत्ति उद्घापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना |

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|---|---------------------------|---|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 328 | अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना | 123 | अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना |
| 329 | सम्पत्ति, उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना | 119(2) | सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना |
| 330 | संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना | 120(1) | संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना |
| 331 | संस्वीकृति उद्दापित करने के लिए या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना | 120(2) | संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना |
| 332 | लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना | 121(1) | लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना |
| 333 | लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना | 121(2) | लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना |
| 334 | प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करना | 122(1) | प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना |
| 335 | प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना | 122(2) | प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना |
| 336 | कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो | 125 | कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो |
| 337 | ऐसे कार्य द्वारा उपहति कारित करना, जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए | 125 | कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो |
| 338 | ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए | 125 | कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो |
| 339 | सदोष अवरोध | 126(1) | सदोष अवरोध |
| 340 | सदोष परिरोध | 127(1) | सदोष परिरोध |
| 341 | सदोष अवरोध के लिए दण्ड | 126(2) | सदोष अवरोध |
| 342 | सदोष परिरोध के लिए दण्ड | 127(2) | सदोष परिरोध |
| 343 | तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध | 127(3) | सदोष परिरोध |
| 344 | दस या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध | 127(4) | सदोष परिरोध |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|---|---------------------------|---|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 345 | ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसको छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है | 127(5) | सदोष परिरोध |
| 346 | गुप्त स्थान में सदोष परिरोध | 127(6) | सदोष परिरोध |
| 347 | सम्पत्ति उद्घापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध | 127(7) | सदोष परिरोध |
| 348 | संस्वीकृति उद्घापित करने के लिए या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध | 127(8) | सदोष परिरोध |
| 349 | बल | 128 | बल |
| 350 | आपराधिक बल | 129 | आपराधिक बल |
| 351 | हमला | 130 | हमला |
| 352 | गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दण्ड | 131 | गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दण्ड |
| 353 | लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग | 132 | लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग |
| 354 | स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग | 74 | महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग |
| 354क | लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिये दण्ड | 75 | लैंगिक उत्पीड़न |
| 354ख | विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग | 76 | विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग |
| 354ग | दुश्चरतिकता | 77 | दुश्चरतिकता |
| 354घ | पीछा करना | 78 | पीछा करना |
| 355 | गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग | 133 | गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग |
| 356 | किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली सम्पत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग | 134 | किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली सम्पत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग |
| 357 | किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग | 135 | किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग |
| 358 | गम्भीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग | 136 | गम्भीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|---|---------------------------|---|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 359 | व्यपहरण | 137(1) | व्यपहरण |
| 360 | भारत में से व्यपहरण | 137(1)(क) | व्यपहरण |
| 361 | विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण | 137(1)(ख) | व्यपहरण |
| 362 | अपहरण | 138 | अपहरण |
| 363 | व्यपहरण के लिए दण्ड | 137(2) | व्यपहरण |
| 363क | भीख माँगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तवय का व्यपहरण या विकलांगीकरण | 139 | भीख माँगने के प्रयोजनों के लिए बालक का व्यपहरण या विकलांगीकरण |
| 364 | हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण | 140(1) | हत्या करने के लिए या फिरौती आदि के लिए व्यपहरण या अपहरण |
| 364क | फिरौती, आदि के लिए व्यपहरण | 140(2) | हत्या करने के लिए या फिरौती आदि के लिए व्यपहरण या अपहरण |
| 365 | किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण | 140(3) | हत्या करने के लिए या फिरौती आदि के लिए व्यपहरण या अपहरण |
| 366 | विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना अपहृत करना या उत्प्रेरित करना | 87 | विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी महिला को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना |
| 366क | अप्राप्तवय लड़क़ी का उपापन | 96 | बालक का उपापन |
| 366ख | विदेश से लड़क़ी का आयात करना | 141 | विदेश से बालिका या बालक का लाना |
| 367 | व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण | 140(4) | हत्या करने के लिए या फिरौती आदि के लिए व्यपहरण या अपहरण |
| 368 | व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना | 142 | व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना |
| 369 | दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण | 97 | दस वर्ष से कम आयु के बालक के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण |
| 370 | व्यक्ति का दुर्व्यापार | 143 | व्यक्ति का दुर्व्यापार |
| 370क | ऐसे व्यक्ति का, जिसका दुर्व्यापार किया गया है, शोषण | 144 | ऐसे व्यक्ति का, जिसका दुर्व्यापार किया गया है, शोषण |
| 371 | दासों का अभ्यासिक व्यौहार करना | 145 | दासों का अभ्यासिक व्यौहार करना |
| 372 | वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचना | 98 | वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए बालक को बेचना |
| 373 | वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय का खरीदना | 99 | वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए बालक को खरीदना |
| 374 | विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम | 146 | विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम |
| 375 | बलात्संग | 63 | बलात्संग |
| 376(1)/(2) | बलात्संग के लिए दण्ड | 64 | बलात्संग के लिए दण्ड |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|--|---------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 376(3) | बलात्संग के लिए दण्ड | 65(1) | कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड |
| 376क | पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दण्ड | 66 | पीड़िता की मृत्यु या सतत् विकृतशील दशा कारित करने के लिए दण्ड |
| 376कख | बारह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग के लिए दण्ड | 65(2) | कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड |
| 376ख | पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन | 67 | पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन |
| 376ग | प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन | 68 | प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन |
| 376घ | सामूहिक बलात्संग | 70(1) | सामूहिक बलात्संग |
| 376घक | सोलह वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग के लिए दण्ड | 70(2) | सामूहिक बलात्संग |
| 376घख | बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग के लिए दण्ड | 70(2) | सामूहिक बलात्संग |
| 376ङ | पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दण्ड | 71 | पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दण्ड |
| 377 | प्रकृति विरुद्ध अपराध | - | - |
| 378 | चोरी | 303(1) | चोरी |
| 379 | चोरी के लिए दण्ड | 303(2) | चोरी |
| 380 | निवास-गृह, आदि में चोरी | 305 | निवास-गृह या यातयात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी |
| 381 | लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में सम्पत्ति की चोरी | 306 | लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में सम्पत्ति की चोरी |
| 382 | चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् चोरी | 307 | चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् चोरी |
| 383 | उद्दापन | 308(1) | उद्दापन |
| 384 | उद्दापन के लिए दण्ड | 308(2) | उद्दापन |
| 385 | उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना | 308(3) | उद्दापन |
| 386 | किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्दापन | 308(5) | उद्दापन |
| 387 | उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालना | 308(4) | उद्दापन |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|--|---------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 388 | मृत्यु या आजीवन कारावास, आदि से दण्डनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्दापन | 308(7) | उद्दापन |
| 389 | उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना | 308(6) | उद्दापन |
| 390 | लूट | 309(1)/ (2)/(3) | लूट |
| 391 | डकैती | 310(1) | डकैती |
| 392 | लूट के लिए दण्ड | 309(4) | लूट |
| 393 | लूट करने का प्रयत्न | 309(5) | लूट |
| 394 | लूट करने में स्वेच्छया उपहति कारित करना | 309(6) | लूट |
| 395 | डकैती के लिए दण्ड | 310(2) | डकैती |
| 396 | हत्या सहित डकैती | 310(3) | डकैती |
| 397 | मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती | 311 | मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती |
| 398 | घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न | 312 | घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न |
| 399 | डकैती करने के लिए तैयारी करना | 310(4) | डकैती |
| 400 | डाकुओं की टोली का होने के लिए दण्ड | 310(6) | डकैती |
| 401 | चोरों की टोली का होने के लिए दण्ड | 313 | लुटेरों, आदि की टोली का होने के लिए दण्ड |
| 402 | डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना | 310(5) | डकैती |
| 403 | सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग | 314 | सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग |
| 404 | ऐसी सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी | 315 | ऐसी सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी |
| 405 | आपराधिक न्यास भंग | 316(1) | आपराधिक न्यास भंग |
| 406 | आपराधिक न्यासभंग के लिए दण्ड | 316(2) | आपराधिक न्यास भंग |
| 407 | वाहक, आदि द्वारा आपराधिक न्यास भंग | 316(3) | आपराधिक न्यास भंग |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|---|---------------------------|---|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 408 | लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग | 316(4) | आपराधिक न्यास भंग |
| 409 | लोक सेवक द्वारा या बैंकर, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यास भंग | 316(5) | आपराधिक न्यास भंग |
| 410 | चुराई हुई सम्पत्ति | 317(1) | चुराई हुई सम्पत्ति |
| 411 | चुराई हुई सम्पत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना | 317(2) | चुराई हुई सम्पत्ति |
| 412 | ऐसी सम्पत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है | 317(3) | चुराई हुई सम्पत्ति |
| 413 | चुराई हुई सम्पत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना | 317(4) | चुराई हुई सम्पत्ति |
| 414 | चुराई हुई सम्पत्ति छिपाने में सहायता करना | 317(5) | चुराई हुई सम्पत्ति |
| 415 | छल | 318(1) | छल |
| 416 | प्रतिरूपण द्वारा छल | 319(1) | प्रतिरूपण द्वारा छल |
| 417 | छल के लिए दण्ड | 318(2) | छल |
| 418 | इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है | 318(3) | छल |
| 419 | प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दण्ड | 319(2) | प्रतिरूपण द्वारा छल |
| 420 | छल करना और सम्पत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना | 318(4) | छल |
| 421 | लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए सम्पत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्ण अपसारण या छिपाना | 320 | लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए सम्पत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्ण अपसारण या छिपाना |
| 422 | ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना | 321 | ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना |
| 423 | अन्तरण के ऐसे विलेख का, जिसमें प्रतिफल के सम्बन्ध में मिथ्या कथन अन्तर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन | 322 | अन्तरण के ऐसे विलेख का, जिसमें प्रतिफल के सम्बन्ध में मिथ्या कथन अन्तर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन |
| 424 | सम्पत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना | 323 | सम्पत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना |
| 425 | रिष्टि | 324(1) | रिष्टि |
| 426 | रिष्टि के लिए दण्ड | 324(2) | रिष्टि |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|--|---------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 427 | रिष्ट जिससे पचास रुपये का नुकसान होता है | 324(4)/ (5) | रिष्ट |
| 428 | दस रुपये के मूल्य के जीव-जन्तु का वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्ट | 325 | जीव-जन्तु का वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्ट |
| 429 | किसी मूल्य के ढोर, आदि को या पचास रुपये के मूल्य के किसी जीव-जन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्ट | 325 | जीव-जन्तु का वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्ट |
| 430 | सिंचन संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने द्वारा रिष्ट | 326(क) | क्षति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्ट |
| 431 | लोक सड़क, पुल, नदी या जलसरणी को क्षति पहुँचा कर रिष्ट | 326(ख) | क्षति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्ट |
| 432 | लोक जल निकास में नुकसानप्रद जल प्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्ट | 326(ग) | क्षति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्ट |
| 433 | किसी दीपग्रह या समुद्री-चिन्ह को नष्ट करके, हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रिष्ट | 326(घ) | क्षति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्ट |
| 434 | लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह को नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्ट | 326(ङ) | क्षति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्ट |
| 435 | सौ रुपये का या (कृषि उपज की दशा में) दस रुपये का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्ट | 326(च) | क्षति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्ट |
| 436 | गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्ट | 326(छ) | क्षति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्ट |
| 437 | तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से रिष्ट | 327(1) | रेल, वायुयान, तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से रिष्ट |
| 438 | धारा 437 में वर्णित अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गई रिष्ट के लिए दण्ड | 327(2) | रेल, वायुयान, तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से रिष्ट |
| 439 | चोरी, आदि करने के आशय से जलयान को साशय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दण्ड | 328 | चोरी, आदि करने के आशय से जलयान को साशय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दण्ड |
| 440 | मृत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् की गई रिष्ट | 324(6) | रिष्ट |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|---|---------------------------|---|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 441 | आपराधिक अतिचार | 329(1) | आपराधिक अतिचार और गृह-अतिचार |
| 442 | गृह-अतिचार | 329(2) | आपराधिक अतिचार और गृह-अतिचार |
| 443 | प्रच्छन्न गृह-अतिचार | 330(1) | गृह-अतिचार और गृह-भेदन |
| 444 | रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार | — | — |
| 445 | गृह-भेदन | 330(2) | गृह-अतिचार और गृह-भेदन |
| 446 | रात्रौ गृह-भेदन | — | — |
| 447 | आपराधिक अतिचार के लिए दण्ड | 329(3) | आपराधिक अतिचार और गृह-अतिचार |
| 448 | गृह-अतिचार के लिए दण्ड | 329(4) | आपराधिक अतिचार और गृह-अतिचार |
| 449 | मृत्यु से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार | 332(क) | अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार |
| 450 | आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार | 332(ख) | अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार |
| 451 | कारावास से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार | 332(ग) | अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार |
| 452 | उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह-अतिचार | 333 | उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह-अतिचार |
| 453 | प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दण्ड | 331(1) | गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दण्ड |
| 454 | कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन | 331(3) | गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दण्ड |
| 455 | उपहति, हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन | 331(5) | गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दण्ड |
| 456 | रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन के लिए दण्ड | 331(2) | गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दण्ड |
| 457 | कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन | 331(4) | गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दण्ड |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|---|---------------------------|---|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 458 | उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन | 331(6) | गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दण्ड |
| 459 | प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करते समय घोर उपहति कारित हो | 331(7) | गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दण्ड |
| 460 | रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन में संयुक्ततः सम्पृक्त समस्त व्यक्ति दण्डनीय है, जबकि उनमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहति कारित की गयी हो | 331(8) | गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दण्ड |
| 461 | ऐसे पात्र को, जिसमें सम्पत्ति है, बेईमानी से तोड़कर खोलना | 334(1) | ऐसे पात्र को, जिसमें सम्पत्ति है, बेईमानी से तोड़कर खोलना |
| 462 | उसी अपराध के लिए दण्ड, जबकि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसे अभिरक्षा न्यस्त की गई है | 334(2) | ऐसे पात्र को, जिसमें सम्पत्ति है, बेईमानी से तोड़कर खोलना |
| 463 | कूट रचना | 336(1) | कूट रचना |
| 464 | मिथ्या दस्तावेज रचना | 335 | मिथ्या दस्तावेज रचना |
| 465 | कूटरचना के लिए दण्ड | 336(2) | कूट रचना |
| 466 | न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना | 337 | न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना |
| 467 | मूल्यवान प्रतिभूति, विल, इत्यादि की कूटरचना | 338 | मूल्यवान प्रतिभूति, विल, इत्यादि की कूटरचना |
| 468 | छल के प्रयोजन से कूटरचना | 336(3) | कूट रचना |
| 469 | ख्याति को अपहानि पहुँचाने के आशय से कूटरचना | 336(4) | कूट रचना |
| 470 | कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख | 340(1) | कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख और इसे असली के रूप में उपयोग में लाना |
| 471 | कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाना | 340(2) | कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख और इसे असली के रूप में उपयोग में लाना |
| 472 | धारा 467 के अधीन दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना | 341(1) | धारा 338 के अधीन दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना |
| 473 | अन्यथा दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना | 341(2) | धारा 338 के अधीन दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|--|---------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 474 | धारा 466 या 467 में वर्णित दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए, कब्जे में रखना | 339 | धारा 337 या 338 में वर्णित दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए, कब्जे में रखना |
| 475 | धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्नयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना | 342(1) | धारा 342 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्नयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना |
| 476 | धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्नयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना | 342(2) | धारा 342 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्नयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना |
| 477 | विल, दत्तकग्रहण प्राधिकार-पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द, नष्ट आदि करना | 343 | विल, दत्तकग्रहण प्राधिकार-पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द, नष्ट आदि करना |
| 477क | लेखा का मिथ्याकरण | 344 | लेखा का मिथ्याकरण |
| 478 | व्यापार चिह्न | — | — |
| 479 | सम्पत्ति चिह्न | 345(1) | सम्पत्ति चिह्न |
| 480 | मिथ्या व्यापार चिह्न का प्रयोग किया जाना | — | — |
| 481 | मिथ्या सम्पत्ति चिह्न को उपयोग में लाना | 345(2) | सम्पत्ति चिह्न |
| 482 | मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न का उपयोग करने के लिए दण्ड | 345(3) | सम्पत्ति चिह्न |
| 483 | अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए सम्पत्ति-चिह्न का कूटकरण | 347(1) | सम्पत्ति-चिह्न का कूटकरण |
| 484 | लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिह्न का कूटकरण | 347(2) | सम्पत्ति-चिह्न का कूटकरण |
| 485 | सम्पत्ति-चिह्न के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा | 348 | सम्पत्ति-चिह्न के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा |
| 486 | कूटकृत सम्पत्ति-चिह्न से चिह्नित माल का विक्रय | 349 | कूटकृत सम्पत्ति-चिह्न से चिह्नित माल का विक्रय |
| 487 | किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिह्न बनाना जिसमें माल रखा है | 350(1) | किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिह्न बनाना जिसमें माल रखा है |
| 488 | किसी ऐसे मिथ्या चिह्न को उपयोग में लाने के लिए दण्ड | 350(2) | किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिह्न बनाना जिसमें माल रखा है |
| 489 | क्षति कारित करने के आशय से सम्पत्ति चिह्न को बिगाड़ना | 346 | क्षति कारित करने के आशय से सम्पत्ति चिह्न को बिगाड़ना |

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|--|---------------------------|---|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 489क | करेन्सी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण | 178 | सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेन्सी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण |
| 489ख | कूटरचित या कूटकृत करेन्सी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना | 179 | कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेन्सी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना |
| 489ग | कूटरचित या कूटकृत करेन्सी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना | 180 | कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेन्सी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना |
| 489घ | करेन्सी नोटों या बैंक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना | 181 | लिखत या कूटरचना के लिए सामग्री या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेन्सी नोटों या बैंक नोटों को बनाना या कब्जे में रखना |
| 489ङ | करेन्सी नोटों या बैंक नोटों से सदृश्य रखने वाले दस्तावेजों की रचना या उपयोग | 182 | करेन्सी नोटों या बैंक नोटों से सदृश्य रखने वाले दस्तावेजों की रचना या उपयोग |
| 490 | समुद्र यात्रा या यात्रा के दौरान सेवा भंग | — | — |
| 491 | असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की सविदा का भंग | 357 | असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की सविदा का भंग के विषय में |
| 492 | दूर वाले स्थान पर सेवा करने का सविदा भंग जहां सेवक को मालिक के खर्चें पर ले जाया जाता है | — | — |
| 493 | विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास | 81 | विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास |
| 494 | पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करना | 82(1) | पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करना |
| 495 | वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ पश्चात्वर्ती विवाह किया जाता है | 82(2) | पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करना |
| 496 | विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म पूरा कर लेना | 83 | विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म पूरा कर लेना |
| 497 | जारकर्म | — | — |
| 498 | विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, या ले आना या निरुद्ध रखना | 84 | विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय दण्ड संहिता, 1860 | | भारतीय न्याय संहिता, 2023 | |
|--------------------------|--|---------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 498क | किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना | 85 | किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना |
| 498 स्पष्टी. | — | 86 | क्रूरता की परिभाषा |
| 499 | मानहानि | 356(1) | मानहानि |
| 500 | मानहानि के लिए दण्ड | 356(2) | मानहानि |
| 501 | मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना | 356(3) | मानहानि |
| 502 | मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को बेचना | 356(4) | मानहानि |
| 503 | आपराधिक अभित्रास | 351(1) | आपराधिक अभित्रास |
| 504 | लोक शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान | 352 | लोक शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान |
| 505 | लोक-रिष्टिकारक वक्तव्य | 353 | लोक-रिष्टिकारक वक्तव्य |
| 506 | आपराधिक अभित्रास के लिए दण्ड | 351(2)/ (3) | आपराधिक अभित्रास |
| 507 | अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास | 351(4) | आपराधिक अभित्रास |
| 508 | व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा, कराया गया कार्य | 354 | व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा, कराया गया कार्य |
| 509 | शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है | 79 | शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है |
| 510 | मत्त व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार | 355 | मत्त व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार |
| 511 | आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दण्ड | 62 | आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दण्ड |

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
2023

तुलनात्मक तालिका

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सम्बन्धित प्रावधानों की तुलना

| दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 | | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|---|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 1 | संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ | 1 | संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ |
| 2 | परिभाषाएं | 2 | परिभाषाएं |
| 2(क) | "जमानतीय अपराध" | 2(1)(ग) | "जमानतीय अपराध" |
| 2(ख) | "आरोप" | 2(1)(च) | "आरोप" |
| 2(ग) | "संज्ञेय अपराध" | 2(1)(छ) | "संज्ञेय अपराध" |
| 2(घ) | "परिवाद" | 2(1)(ज) | "परिवाद" |
| 2(ङ) | "उच्च न्यायालय" | 2(1)(ञ) | "उच्च न्यायालय" |
| 2(च) | "भारत" | - | - |
| 2(छ) | "जांच" | 2(1)(ट) | "जांच" |
| 2(ज) | "अन्वेषण" | 2(1)(ठ) | "अन्वेषण" |
| 2(झ) | "न्यायिक कार्यवाही" | 2(1)(ड) | "न्यायिक कार्यवाही" |
| 2(ञ) | "स्थानीय अधिकारिता" | 2(1)(ढ) | "स्थानीय अधिकारिता" |
| 2(ट) | "महानगर क्षेत्र" | - | - |
| 2(ठ) | "असंज्ञेय अपराध" | 2(1)(ण) | "असंज्ञेय अपराध" |
| 2(ड) | "अधिसूचना" | 2(1)(त) | "अधिसूचना" |
| 2(ढ) | "अपराध" | 2(1)(थ) | "अपराध" |
| 2(ण) | "पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी" | 2(1)(द) | "पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी" |
| 2(त) | "स्थान" | 2(1)(ध) | "स्थान" |
| 2(थ) | "प्लीडर" | - | - |
| 2(द) | "पुलिस रिपोर्ट" | 2(1)(न) | "पुलिस रिपोर्ट" |
| 2(ध) | "पुलिस थाना" | 2(1)(प) | "पुलिस थाना" |
| 2(न) | "विहित" | - | - |
| 2(प) | "लोक अभियोजक" | 2(1)(फ) | "लोक अभियोजक" |
| 2(फ) | "उपखण्ड" | 2(1)(ब) | "उपखण्ड" |
| 2(ब) | "समन-मामला" | 2(1)(भ) | "समन-मामला" |
| 2(बक) | "पीडित" | 2(1)(म) | "पीडित" |
| 2(भ) | "वारण्ट मामला" | 2(1)(य) | "वारण्ट मामला" |
| 2(म) | शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं | 2(2) | शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं |

तुलनात्मक तालिका

| दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 | | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|---|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 3 | निर्देशों का अर्थ लगाना | 3 | निर्देशों का अर्थ लगाना |
| 4 | भारतीय दण्ड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण | 4 | भारतीय न्याय संहिता, 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण |
| 5 | व्यावृत्ति | 5 | व्यावृत्ति |
| 6 | दण्ड न्यायालयों के वर्ग | 6 | दण्ड न्यायालयों के वर्ग |
| 7 | प्रादेशिक खण्ड | 7 | प्रादेशिक खण्ड |
| 8 | महानगर क्षेत्र | — | — |
| 9 | सेशन न्यायालय | 8 | सेशन न्यायालय |
| 10 | सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना | — | — |
| 11 | न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय | 9 | न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय |
| 12 | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आदि | 10 | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आदि |
| 13 | विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट | 11 | विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट |
| 14 | न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता | 12 | न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता |
| 15 | न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना | 13 | न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना |
| 16 | महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय | — | — |
| 17 | मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट | — | — |
| 18 | विशेष महानगर मजिस्ट्रेट | — | — |
| 19 | महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना | — | — |
| 20 | कार्यपालक मजिस्ट्रेट | 14 | कार्यपालक मजिस्ट्रेट |
| 21 | विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट | 15 | विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट |
| 22 | कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता | 16 | कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता |
| 23 | कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना | 17 | कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना |
| 24 | लोक अभियोजक | 18 | लोक अभियोजक |
| 25 | सहायक लोक अभियोजक | 19 | सहायक लोक अभियोजक |
| 25क | अभियोजन निदेशालय | 20 | अभियोजन निदेशालय |
| 26 | न्यायालय, जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं | 21 | न्यायालय, जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं |

तुलनात्मक तालिका

| दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 | | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|---|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 27 | किशोरों के मामलों में अधिकारिता | — | — |
| 28 | दण्डादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे | 22 | दण्डादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे |
| 29 | दण्डादेश, जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे | 23 | दण्डादेश, जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे |
| 30 | जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दण्डादेश | 24 | जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दण्डादेश |
| 31 | एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने के मामलों में दण्डादेश | 25 | एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने के मामलों में दण्डादेश |
| 32 | शक्तियां प्रदान करने का ढंग | 26 | शक्तियां प्रदान करने का ढंग |
| 33 | नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां | 27 | नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां |
| 34 | शक्तियों को वापस लेना | 28 | शक्तियों को वापस लेना |
| 35 | न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद-उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकता | 29 | न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद-उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकता |
| 36 | वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां | 30 | वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां |
| 37 | जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी | 31 | जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी |
| 38 | पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है | 32 | पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है |
| 39 | कुछ अपराधों की इत्तिला का जनता द्वारा दिया जाना | 33 | कुछ अपराधों की सूचना जनता द्वारा दिया जाना |
| 40 | ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य | 34 | ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य |
| 41 | पुलिस वारण्ट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी | 35(1)/(2) | पुलिस वारण्ट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी |
| 41क | पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना | 35(3)से 35(6) | पुलिस वारण्ट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी |
| 41ख | गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य | 36 | गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य |
| 41ग | जिले में नियंत्रण कक्ष | 37 | पदाभिहित पुलिस अधिकारी |
| 41घ | गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने का अधिकार | 38 | गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार |
| 42 | नाम और निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी | 39 | नाम और निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी |
| 43 | प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया | 40 | प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया |

तुलनात्मक तालिका

| वण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 | | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 44 | मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी | 41 | मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी |
| 45 | सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण | 42 | सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण |
| 46 | गिरफ्तारी कैसे की जाएगी | 43 | गिरफ्तारी कैसे की जाएगी |
| 47 | उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है | 44 | उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है |
| 48 | अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना | 45 | अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना |
| 49 | अनावश्यक अवरोध न करना | 46 | अनावश्यक अवरोध न करना |
| 50 | गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इतिला दिया जाना | 47 | गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना |
| 50क | गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की, गिरफ्तारी आदि के बारे में, नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता | 48 | गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की, गिरफ्तारी आदि के बारे में, नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता |
| 51 | गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी | 49 | गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी |
| 52 | आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति | 50 | आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति |
| 53 | पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा | 51 | पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा |
| 53क | बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा | 52 | बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा |
| 54 | गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा | 53 | गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा |
| 54क | गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त | 54 | गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त |
| 55 | जब पुलिस अधिकारी वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया | 55 | जब पुलिस अधिकारी वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया |
| 55क | गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा | 56 | गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा |
| 56 | गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना | 57 | गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना |
| 57 | गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को चौबीस घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना | 58 | गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का चौबीस घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना |
| 58 | पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना | 59 | पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना |
| 59 | पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन | 60 | पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन |
| 60 | निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति | 61 | निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति |

तुलनात्मक तालिका

| दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 | | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|---|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 60क | गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुसार ही किया जाना | 62 | गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुसार ही किया जाना |
| 61 | समन का प्ररूप | 63 | समन का प्ररूप |
| 62 | समन की तामील कैसे की जाए | 64 | समन की तामील कैसे की जाए |
| 63 | निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील | 65 | निगमित निकायों, फर्नों और सोसाइटियों पर समन की तामील |
| 64 | जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सकें तब तामील | 66 | जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सकें तब तामील |
| 65 | जब पूर्व उपबन्धित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया | 67 | जब पूर्व उपबन्धित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया |
| 66 | सरकारी सेवक पर तामील | 68 | सरकारी सेवक पर तामील |
| 67 | स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील | 69 | स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील |
| 68 | ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत | 70 | ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत |
| 69 | साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील | 71 | साक्षी पर समन की तामील |
| 70 | गिरफ्तारी के वारण्ट का प्ररूप और अवधि | 72 | गिरफ्तारी के वारण्ट का प्ररूप और अवधि |
| 71 | प्रतिभूति लिए जाने का निदेश देने की शक्ति | 73 | प्रतिभूति लिए जाने का निदेश देने की शक्ति |
| 72 | वारण्ट किसको निर्दिष्ट होंगे | 74 | वारण्ट किसको निर्दिष्ट होंगे |
| 73 | वारण्ट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे | 75 | वारण्ट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे |
| 74 | पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारण्ट | 76 | पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारण्ट |
| 75 | वारण्ट के सार की सूचना | 77 | वारण्ट के सार की सूचना |
| 76 | गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलम्ब लाया जाना | 78 | गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलम्ब लाया जाना |
| 77 | वारण्ट कहां निष्पादित किया जा सकता है | 79 | वारण्ट कहां निष्पादित किया जा सकता है |
| 78 | अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारण्ट | 80 | अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारण्ट |
| 79 | अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारण्ट | 81 | अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारण्ट |
| 80 | जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारण्ट जारी किया गया है, उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया | 82 | जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारण्ट जारी किया गया है, उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया |
| 81 | उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए | 83 | उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए |

तुलनात्मक तालिका

| दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 | | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|---|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 82 | फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा | 84 | फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा |
| 83 | फरार व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की | 85 | फरार व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की |
| 84 | कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियाँ | 87 | कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियाँ |
| 85 | कुर्क की हुई सम्पत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना | 88 | कुर्क की हुई सम्पत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना |
| 86 | कुर्क सम्पत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील | 89 | कुर्क सम्पत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील |
| 87 | समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारण्ट का जारी किया जाना | 90 | समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारण्ट का जारी किया जाना |
| 88 | हाजिरी के लिए बन्धपत्र लेने की शक्ति | 91 | हाजिरी के लिए बन्धपत्र या जमानत पत्र लेने की शक्ति |
| 89 | हाजिरी या बन्धपत्र भंग करने पर गिरफ्तारी | 92 | हाजिरी का बन्धपत्र या जमानत पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी |
| 90 | इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतया समनों और गिरफ्तारी के वारण्टों को लागू होना | 93 | इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतया समनों और गिरफ्तारी के वारण्टों को लागू होना |
| 91 | दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन | 94 | दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन |
| 92 | पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया | 95 | पत्रों के संबंध में प्रक्रिया |
| 93 | तलाशी-वारण्ट कब जारी किया जा सकता है | 96 | तलाशी-वारण्ट कब जारी किया जा सकता है |
| 94 | उस स्थान की तलाशी, जिसमें चुराई हुई सम्पत्ति, कूटरचित्त दस्तावेज आदि होने का संदेह है | 97 | उस स्थान की तलाशी, जिसमें चुराई हुई सम्पत्ति, कूटरचित्त दस्तावेज आदि होने का संदेह है |
| 95 | कुछ प्रकाशनों के समपहत होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी-वारण्ट जारी करने की शक्ति | 98 | कुछ प्रकाशनों के समपहत होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी-वारण्ट जारी करने की शक्ति |
| 96 | समपहरण की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन | 99 | समपहरण की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन |
| 97 | सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी | 100 | सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी |
| 98 | अपहत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति | 101 | अपहत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति |
| 99 | तलाशी-वारण्टों का निदेशन आदि | 102 | तलाशी-वारण्टों का निदेशन आदि |

तुलनात्मक तालिका

| दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 | | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 100 | बन्द स्थान के भारसाधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे | 103 | बन्द स्थान के भारसाधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे |
| 101 | अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन | 104 | अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन |
| 102 | कुछ सम्पत्ति को अभिगृहीत करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति | 106 | कुछ सम्पत्ति को अभिगृहीत करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति |
| 103 | मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है | 108 | मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है |
| 104 | पेश की गई दस्तावेज आदि, को परिबद्ध करने की शक्ति | 109 | पेश की गई दस्तावेज आदि, को परिबद्ध करने की शक्ति |
| 105 | आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था | 110 | आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था |
| 105क | परिभाषाएं | 111 | परिभाषाएं |
| 105क(क) | “संविदाकारी राज्य” | 111(क) | “संविदाकारी राज्य” |
| 105क(ख) | “पहचान करना” | 111(ख) | “पहचान करना” |
| 105क(ग) | “अपराध के आगम” | 111(ग) | “अपराध के आगम” |
| 105क(घ) | “सम्पत्ति” | 111(घ) | “सम्पत्ति” |
| 105क(ङ) | “पता लगाना” | 111(ङ) | “पता लगाना” |
| 105ख | व्यक्तियों का अन्तरण सुनिश्चित करने में सहायता | 114 | व्यक्तियों का अन्तरण सुनिश्चित करने में सहायता |
| 105ग | सम्पत्ति की कुर्की या समपहरण के आदेशों के संबंध में सहायता | 115 | सम्पत्ति की कुर्की या समपहरण के आदेशों के संबंध में सहायता |
| 105घ | विधिविरुद्धतया अर्जित सम्पत्ति की पहचान करना | 116 | विधिविरुद्धतया अर्जित सम्पत्ति की पहचान करना |
| 105ङ | सम्पत्ति का अभिग्रहण या कुर्की | 117 | सम्पत्ति का अभिग्रहण या कुर्की |
| 105च | इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत या समपहत सम्पत्ति का प्रबन्ध | 118 | इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत या समपहत सम्पत्ति का प्रबन्ध |
| 105छ | सम्पत्ति के समपहरण की सूचना | 119 | सम्पत्ति के समपहरण की सूचना |
| 105ज | कतिपय मामलों में सम्पत्ति का समपहरण | 120 | कतिपय मामलों में सम्पत्ति का समपहरण |
| 105झ | समपहरण के बदले जुर्माना | 121 | समपहरण के बदले जुर्माना |
| 105ञ | कुछ अंतरणों का अकृत और शून्य होना | 122 | कुछ अंतरणों का अकृत और शून्य होना |
| 105ट | अनुरोध पत्र के बाबत प्रक्रिया | 123 | अनुरोध पत्र की बाबत प्रक्रिया |
| 105ठ | इस अध्याय का लागू होना | 124 | इस अध्याय का लागू होना |
| 106 | दोषसिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति | 125 | दोषसिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति |

तुलनात्मक तालिका

| दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 | | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|---|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 107 | अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति | 126 | अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति |
| 108 | राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति | 127 | कतिपय मामलों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति |
| 109 | संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति | 128 | संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति |
| 110 | आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति | 129 | आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति |
| 111 | आदेश का दिया जाना | 130 | आदेश का दिया जाना |
| 112 | न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया | 131 | न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया |
| 113 | ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारण्ट जो उपस्थित नहीं है | 132 | ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारण्ट जो उपस्थित नहीं है |
| 114 | समन या वारण्ट के साथ आदेश की प्रति होगी | 133 | समन या वारण्ट के साथ आदेश की प्रति होगी |
| 115 | वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति | 134 | वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति |
| 116 | इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच | 135 | इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच |
| 117 | प्रतिभूति देने का आदेश | | प्रतिभूति देने का आदेश |
| 118 | उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इत्तिला दी गई है | 137 | उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इत्तिला दी गई है |
| 119 | जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है, उसका प्रारम्भ | 138 | जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारम्भ |
| 120 | बन्धपत्र की अन्तर्वस्तुएं | 139 | बन्धपत्र की अन्तर्वस्तुएं |
| 121 | प्रतिभुओं को अस्वीकार करने की शक्ति | 140 | प्रतिभुओं को अस्वीकार करने की शक्ति |
| 122 | प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास | 141 | प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास |
| 123 | प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति | 142 | प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति |
| 124 | बन्धपत्रों की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति | 143 | बन्धपत्रों की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति |
| 125 | पत्नी, सन्तान और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश | 144 | पत्नी, सन्तान और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश |
| 126 | प्रक्रिया | 145 | प्रक्रिया |
| 127 | भत्ते में परिवर्तन | 146 | भत्ते में परिवर्तन |
| 128 | भरण-पोषण के आदेश का प्रवर्तन | 147 | भरण-पोषण के आदेश का प्रवर्तन |

तुलनात्मक तालिका

| दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 | | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 129 | सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर-बितर करना | 148 | सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर-बितर करना |
| 130 | जमाव को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग | 149 | जमाव को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग |
| 131 | जमाव को तितर-बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति | 150 | जमाव को तितर-बितर करने की सशस्त्र बल के कतिपय अधिकारियों की शक्ति |
| 132 | पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के अभियोजन से संरक्षण | 151 | धारा 148, धारा 149 तथा धारा 150 के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण |
| 133 | न्यूसेन्स हटाने के लिए सशर्त आदेश | 152 | न्यूसेन्स हटाने के लिए सशर्त आदेश |
| 134 | आदेश की तामील या अधिसूचना | 153 | आदेश की तामील या अधिसूचना |
| 135 | जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है, वह उसका पालन करेगा या कारण दर्शित करेगा | 154 | जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है, वह उसका पालन करेगा या कारण दर्शित करेगा |
| 136 | उसके ऐसा करने में असफल रहने का परिणाम | 155 | धारा 154 का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति |
| 137 | जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इन्कार किया जाता है वहां प्रक्रिया | 156 | जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इन्कार किया जाता है वहां प्रक्रिया |
| 138 | जहां वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है वहां प्रक्रिया | 157 | व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 152 के अधीन कोई आदेश दिया गया है वहां कारण दर्शित करने के लिए प्रक्रिया |
| 139 | स्थानीय अन्वेषण के लिए निदेश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति | 158 | स्थानीय अन्वेषण के लिए निदेश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति |
| 140 | मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति | 159 | मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति |
| 141 | आदेश अन्तिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम | 160 | आदेश अन्तिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम |
| 142 | जांच के लम्बित रहने तक व्यादेश | 161 | जांच के लम्बित रहने तक व्यादेश |
| 143 | मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है | 162 | मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है |
| 144 | न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेन्ट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति | 163 | न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेन्ट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति |
| 144क | आयुध सहित जुल्स या सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति | — | — |

तुलनात्मक तालिका

| दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 | | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 145 | जहां भूमि या जल से सम्बद्ध विवादों से परिशान्ति भंग होना संभाव्य है वहां प्रक्रिया | 164 | जहां भूमि या जल से सम्बद्ध विवादों से परिशान्ति भंग होना संभाव्य है वहां प्रक्रिया |
| 146 | विवाद की विषयवस्तु को कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति | 165 | विवाद की विषयवस्तु को कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति |
| 147 | भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से सम्बद्ध विवाद | 166 | भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से सम्बद्ध विवाद |
| 148 | स्थानीय जांच | 167 | स्थानीय जांच |
| 149 | पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना | 168 | पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना |
| 150 | संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तिला | 169 | संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तिला |
| 151 | संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी | 170 | संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी |
| 152 | लोक सम्पत्ति की हानि का निवारण | 171 | लोक सम्पत्ति की हानि का निवारण |
| 153 | बाटों और मापों का निरीक्षण | - | - |
| 154 | संज्ञेय मामलों में इत्तिला | 173 | संज्ञेय मामलों में इत्तिला |
| 155 | असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण | 174 | असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण |
| 156 | संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति | 175 | संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति |
| 157 | अन्वेषण के लिए प्रक्रिया | 176 | अन्वेषण के लिए प्रक्रिया |
| 158 | रिपोर्ट कैसे दी जाएगी | 177 | रिपोर्ट कैसे दी जाएगी |
| 159 | अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति | 178 | अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति |
| 160 | साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति | 179 | साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति |
| 161 | पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा | 180 | पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा |
| 162 | पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना; कथनों का साक्ष्य में उपयोग | 181 | पुलिस को किया गया कथन और उसका |
| 163 | कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना | 182 | कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना |
| 164 | संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना | 183 | संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना |
| 164क | बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा | 184 | बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा |

तुलनात्मक तालिका

| दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 | | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 165 | पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी | 185 | पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी |
| 166 | पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारण्ट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है | 186 | पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारण्ट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है |
| 166क | भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र | 112 | भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र |
| 166ख | भारत के बाहर किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र | 113 | भारत के बाहर किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र |
| 167 | जब चौबीस घंटे के अन्दर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया | 187 | जब चौबीस घंटे के अन्दर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया |
| 168 | अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट | 188 | अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट |
| 169 | जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना | 189 | जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना |
| 170 | जब साक्ष्य पर्याप्त हैं तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना | 190 | जब साक्ष्य पर्याप्त हैं तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना |
| 171 | परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना | 191 | परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना |
| 172 | अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी | 192 | अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी |
| 173 | अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट | 193 | अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट |
| 174 | आत्महत्या, आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना | 194 | आत्महत्या, आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना |
| 175 | व्यक्तियों को समन करने की शक्ति | 195 | व्यक्तियों को समन करने की शक्ति |
| 176 | मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच | 196 | मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच |
| 177 | जांच और विचारण का मामूली स्थान | 197 | जांच और विचारण का मामूली स्थान |
| 178 | जांच या विचारण का स्थान | 198 | जांच या विचारण का स्थान |
| 179 | अपराध वहां विचारणीय होगा, जहां कार्य किया गया, या जहां परिणाम निकला | 199 | अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया या जहां परिणाम निकला |
| 180 | जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है वहां विचारण का स्थान | 200 | जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है वहां विचारण का स्थान |

तुलनात्मक तालिका

| दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 | | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 181 | कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान | 201 | कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान |
| 182 | पत्रों, आदि द्वारा किए गए अपराध | 202 | इलैक्ट्रॉनिक संसूचना के साधनों, पत्रों, आदि द्वारा किए गए अपराध |
| 183 | यात्रा या जल-यात्रा में किया गया अपराध | 203 | यात्रा या जलयान में किया गया अपराध |
| 184 | एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान | 204 | एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान |
| 185 | विभिन्न सेशन खण्डों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति | 205 | विभिन्न सेशन खण्डों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति |
| 186 | संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा | 206 | संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा |
| 187 | स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के लिए समन या वारण्ट जारी करने की शक्ति | 207 | स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के लिए समन या वारण्ट जारी करने की शक्ति |
| 188 | भारत से बाहर किया गया अपराध | 208 | भारत से बाहर किया गया अपराध |
| 189 | भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना | 209 | भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना |
| 190 | मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान | 210 | मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान |
| 191 | अभियुक्त के आवेदन पर अन्तरण | 211 | अभियुक्त के आवेदन पर अन्तरण |
| 192 | मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना | 212 | मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना |
| 193 | अपराधों का सेशन न्यायालयों द्वारा संज्ञान | 213 | अपराधों का सेशन न्यायालयों द्वारा संज्ञान |
| 194 | अपर और सहायक सेशन न्यायाधीशों को हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण | 214 | अपर सेशन न्यायाधीशों को हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण |
| 195 | लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन | 215 | लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन |
| 195क | धमकी देने आदि की दशा में साक्षियों के लिए प्रक्रिया | 216 | धमकी देने आदि की दशा में साक्षियों के लिए प्रक्रिया |

तुलनात्मक तालिका

| दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 | | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 196 | राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन | 217 | राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन |
| 197 | न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन | 218 | न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन |
| 198 | विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन | 219 | विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन |
| 198क | भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498क के अधीन अपराधों का अभियोजन | 220 | भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85 के अधीन अपराधों का अभियोजन |
| 198ख | अपराध का संज्ञान | 221 | अपराध का संज्ञान |
| 199 | मानहानि के लिए अभियोजन | 222 | मानहानि के लिए अभियोजन |
| 200 | परिवादी की परीक्षा | 223 | परिवादी की परीक्षा |
| 201 | ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है | 224 | ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है |
| 202 | आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना | 225 | आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना |
| 203 | परिवाद को खारिज किया जाना | 226 | परिवाद का खारिज किया जाना |
| 204 | आदेशिका का जारी किया जाना | 227 | आदेशिका का जारी किया जाना |
| 205 | मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता | 228 | मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता |
| 206 | छोटे अपराधों के मामले में विशेष समन | 229 | छोटे अपराधों के मामले में विशेष समन |
| 207 | अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना | 230 | अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना |
| 208 | सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देना | 231 | सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देना |
| 209 | जब अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना | 232 | जब अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना |
| 210 | परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण | 233 | परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण |
| 211 | आरोप की अन्तर्वस्तु | 234 | आरोप की अन्तर्वस्तु |
| 212 | समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां | 235 | समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां |

तुलनात्मक तालिका

| दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 | | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 213 | कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए | 236 | कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए |
| 214 | आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दण्डनीय है | 237 | आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दण्डनीय है |
| 215 | गलतियों का प्रभाव | 238 | गलतियों का प्रभाव |
| 216 | न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है | 239 | न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है |
| 217 | जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों का पुनः बुलाया जाना | 240 | जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों का पुनः बुलाया जाना |
| 218 | सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक् आरोप | 241 | सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक् आरोप |
| 219 | एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के तीन अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा | 242 | एक ही वर्ष में किए गए एक किस्म के अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सके |
| 220 | एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण | 243 | एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण |
| 221 | जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है | 244 | जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है |
| 222 | जब वह अपराध, जो साबित हुआ है, आरोपित अपराध के अन्तर्गत है | 245 | जब वह अपराध, जो साबित हुआ है, आरोपित अपराध के अन्तर्गत है |
| 223 | किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा | 246 | किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा |
| 224 | कई आरोपों में से एक के लिए दोषसिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेना | 247 | कई आरोपों में से एक के लिए दोषसिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेना |
| 225 | विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना | 248 | विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना |
| 226 | अभियोजन के मामले में कथन का आरम्भ | 249 | अभियोजन के मामले में कथन का आरम्भ |
| 227 | उन्मोचन | 250 | उन्मोचन |
| 228 | आरोप विरचित करना | 251 | आरोप विरचित करना |
| 229 | दोषी होने का अभिवचन | 252 | दोषी होने का अभिवचन |
| 230 | अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख | 253 | अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख |
| 231 | अभियोजन के लिए साक्ष्य | 254 | अभियोजन के लिए साक्ष्य |
| 232 | दोषमुक्ति | 255 | दोषमुक्ति |
| 233 | प्रतिरक्षा आरम्भ करना | 256 | प्रतिरक्षा आरम्भ करना |
| 234 | बहस | 257 | बहस |
| 235 | दोषमुक्ति या दोषसिद्धि का निर्णय | 258 | दोषमुक्ति या दोषसिद्धि का निर्णय |
| 236 | पूर्व दोषसिद्धि | 259 | पूर्व दोषसिद्धि |

तुलनात्मक तालिका

| दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 | | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 237 | धारा 199 (2) के अधीन संस्थित मामलों में प्रक्रिया | 260 | धारा 222 की उपधारा (2) के अधीन संस्थित मामलों में प्रक्रिया |
| 238 | धारा 207 का अनुपालन | 261 | धारा 230 का अनुपालन |
| 239 | अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा | 262 | जब अभियुक्त का उन्मोचन किया जाएगा |
| 240 | आरोप विरचित करना | 263 | आरोप विरचित करना |
| 241 | दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि | 264 | दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि |
| 242 | अभियोजन के लिए साक्ष्य | 265 | अभियोजन के लिए साक्ष्य |
| 243 | प्रतिरक्षा का साक्ष्य | 266 | प्रतिरक्षा का साक्ष्य |
| 244 | अभियोजन का साक्ष्य | 267 | अभियोजन का साक्ष्य |
| 245 | अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा | 268 | अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा |
| 246 | प्रक्रिया, जहां अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता | 269 | प्रक्रिया, जहां अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता |
| 247 | प्रतिरक्षा का साक्ष्य | 270 | प्रतिरक्षा का साक्ष्य |
| 248 | दोषमुक्ति या दोषसिद्धि | 271 | दोषमुक्ति या दोषसिद्धि |
| 249 | परिवादी की अनुपस्थिति | 272 | परिवादी की अनुपस्थिति |
| 250 | उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर | 273 | उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर |
| 251 | अभियोग का सारांश बताया जाना | 274 | अभियोग का सारांश बताया जाना |
| 252 | दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि | 275 | दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि |
| 253 | छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि | 276 | छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि |
| 254 | प्रक्रिया जब दोषसिद्ध न किया जाए | 277 | प्रक्रिया जब दोषसिद्ध न किया जाए |
| 255 | दोषमुक्ति या दोषसिद्धि | 278 | दोषमुक्ति या दोषसिद्धि |
| 256 | परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु | 279 | परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु |
| 257 | परिवाद को वापस लेना | 280 | परिवाद को वापस लेना |
| 258 | कुछ मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति | 281 | कतिपय मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति |
| 259 | समन-मामलों को वारण्ट-मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति | 282 | समन-मामलों को वारण्ट-मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति |
| 260 | संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति | 283 | संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति |
| 261 | द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेटों द्वारा संक्षिप्त विचारण | 284 | द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेटों द्वारा संक्षिप्त विचारण |

तुलनात्मक तालिका

| दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 | | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 262 | संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया | 285 | संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया |
| 263 | संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख | 286 | संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख |
| 264 | संक्षेपतः विचारित मामलों में निर्णय | 287 | संक्षेपतः विचारित मामलों में निर्णय |
| 265 | अभिलेख और निर्णय की भाषा | 288 | अभिलेख और निर्णय की भाषा |
| 265क | अध्याय का लागू होना | 289 | अध्याय का लागू होना |
| 265ख | सौदा अभिवाक् के लिए आवेदन | 290 | सौदा अभिवाक् के लिए आवेदन |
| 265ग | पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत | 291 | पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत |
| 265घ | पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना | 292 | पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना |
| 265ङ | मामले का निपटारा | 293 | मामले का निपटारा |
| 265च | न्यायालय का निर्णय | 294 | न्यायालय का निर्णय |
| 265छ | निर्णय का अंतिम होना | 295 | निर्णय का अंतिम होना |
| 265ज | सौदा अभिवाक् में न्यायालय की शक्ति | 296 | सौदा अभिवाक् में न्यायालय की शक्ति |
| 265झ | अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना | 297 | अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना |
| 265ञ | व्यावृत्ति | 298 | व्यावृत्ति |
| 265ट | अभियुक्त के कथनों का उपयोग न किया जाना | 299 | अभियुक्त के कथनों का उपयोग न किया जाना |
| 265ठ | अध्याय का लागू न होना | 300 | अध्याय का लागू न होना |
| 266 | परिभाषाएं | 301 | परिभाषाएं |
| 266(क) | "निरुद्ध" | 301(क) | "निरुद्ध" |
| 266(ख) | "कारागार" | 301(ख) | "कारागार" |
| 267 | बंदियों को हाजिर कराने की अपेक्षा करने की शक्ति | 302 | बंदियों को हाजिर कराने की अपेक्षा करने की शक्ति |
| 268 | धारा 267 के प्रवर्तन से कतिपय व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार की शक्ति | 303 | धारा 302 के प्रवर्तन से कतिपय व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की शक्ति |
| 269 | कारागार के भारसाधक अधिकारी का कतिपय आकस्मिकताओं में आदेश को कार्यान्वित न करना | 304 | कारागार के भारसाधक अधिकारी का कतिपय आकस्मिकताओं में आदेश को कार्यान्वित न करना |
| 270 | बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना | 305 | बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना |

तुलनात्मक तालिका

| दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 | | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|---|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 294 | कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होना | 330 | कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होना |
| 295 | लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथपत्र | 331 | लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथपत्र |
| 296 | शपथपत्र पर औपचारिक साक्ष्य | 332 | शपथपत्र पर औपचारिक साक्ष्य |
| 297 | प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथपत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा | 333 | प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथपत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा |
| 298 | पूर्व दोषसिद्धि या दोषमुक्ति कैसे साबित की जाए | 334 | पूर्व दोषसिद्धि या दोषमुक्ति कैसे साबित की जाए |
| 299 | अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख | 335 | अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख |
| 300 | एक बार दोषसिद्धि या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना | 337 | एक बार दोषसिद्धि या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना |
| 301 | लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी | 338 | लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी |
| 302 | अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा | 339 | अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा |
| 303 | जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार | 340 | जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार |
| 304 | कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता | 341 | कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता |
| 305 | प्रक्रिया, जब निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त है | 342 | प्रक्रिया, जब निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त है |
| 306 | सह-अपराधी को क्षमादान | 343 | सह-अपराधी को क्षमादान |
| 307 | क्षमा-दान का निदेश देने की शक्ति | 344 | क्षमा-दान का निदेश देने की शक्ति |
| 308 | क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण | 345 | क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण |
| 309 | कार्यवाही को मुलतवी या स्थगित करने की शक्ति | 346 | कार्यवाही को मुलतवी या स्थगित करने की शक्ति |
| 310 | स्थानीय निरीक्षण | 347 | स्थानीय निरीक्षण |
| 311 | आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति | 348 | आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति |
| 311क | नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति | 349 | नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति |
| 312 | परिवादियों और साक्षियों के व्यय | 350 | परिवादियों और साक्षियों के व्यय |

तुलनात्मक तालिका

| दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 | | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 313 | अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति | 351 | अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति |
| 314 | मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन | 352 | मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन |
| 315 | अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना | 353 | अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना |
| 316 | प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी असर का काम में न लाया जाना | 354 | प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी प्रभाव का काम में न लाया जाना |
| 317 | कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबंध | 355 | कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबंध |
| 318 | प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्यवाही नहीं समझता है | 357 | प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्यवाहियों को नहीं समझता है |
| 319 | अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति | 358 | अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति |
| 320 | अपराधों का शमन | 359 | अपराधों का शमन |
| 321 | अभियोजन वापस लेना | 360 | अभियोजन वापस लेना |
| 322 | जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, उनमें प्रक्रिया | 361 | जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, उनमें प्रक्रिया |
| 323 | प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारम्भ के पश्चात् मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए | 362 | प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारम्भ के पश्चात् मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए |
| 324 | सिक्के, स्टाम्प विधि या सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए तत्पूर्व दोषसिद्ध व्यक्तियों का विचारण | 363 | सिक्के, स्टाम्प विधि या सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए पूर्व में दोषसिद्ध व्यक्तियों का विचारण |
| 325 | प्रक्रिया, जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दण्ड का आदेश नहीं दे सकता | 364 | प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दण्ड का आदेश नहीं दे सकता |
| 326 | भागत: एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा और भागत: दूसरे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोषसिद्धि या सुपुर्दगी | 365 | भागत: एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा और भागत: दूसरे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोषसिद्धि या सुपुर्दगी |
| 327 | न्यायालयों का खुला होना | 366 | न्यायालयों का खुला होना |
| 328 | अभियुक्त के पागल होने की दशा में प्रक्रिया | 367 | अभियुक्त के विकृत चित्त व्यक्ति होने की दशा में प्रक्रिया |
| 329 | न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृतचित्त होने की दशा में प्रक्रिया | 368 | न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृत चित्त होने की दशा में प्रक्रिया |
| 330 | अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक विकृतचित्त व्यक्ति का छोड़ा जाना | 369 | अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक विकृत चित्त व्यक्ति का छोड़ा जाना |

तुलनात्मक तालिका

| दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 | | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|---|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 331 | जांच या विचारण को पुनः चालू करना | 370 | जांच या विचारण को पुनः चालू करना |
| 332 | मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने पर प्रक्रिया | 371 | मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने पर प्रक्रिया |
| 333 | जब यह प्रतीत हो कि अभियुक्त स्वस्थचित रहा है | 372 | जब यह प्रतीत हो कि अभियुक्त स्वस्थ चित्त रहा है |
| 334 | चित्त-विकृति के आधार पर दोष-मुक्ति का निर्णय | 373 | चित्त-विकृति के आधार पर दोष-मुक्ति का निर्णय |
| 335 | ऐसे आधार पर दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना | 374 | चित्त-विकृति के आधार पर दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना |
| 336 | भारसाधक अधिकारी को कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति | 375 | भारसाधक अधिकारी को कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति |
| 337 | जहां यह रिपोर्ट की जाती है कि पागल बंदी अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है, वहां प्रक्रिया | 376 | जहां यह रिपोर्ट की जाती है कि विकृत चित्त बंदी अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है, वहां प्रक्रिया |
| 338 | जहां निरुद्ध पागल छोड़े जाने के योग्य घोषित कर दिया जाता है वहां प्रक्रिया | 377 | जहां निरुद्ध विकृत चित्त व्यक्ति छोड़े जाने के योग्य घोषित कर दिया जाता है वहां प्रक्रिया |
| 339 | नातेदार या मित्र को देख-रेख के लिए पागल को सौंपा जाना | 378 | नातेदार या मित्र की देख-रेख के लिए विकृत चित्त व्यक्ति का सौंपा जाना |
| 340 | धारा 195 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया | 379 | धारा 215 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया |
| 341 | अपील | 380 | अपील |
| 342 | खर्च का आदेश देने की शक्ति | 381 | खर्च का आदेश देने की शक्ति |
| 343 | जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहां प्रक्रिया | 382 | जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहां प्रक्रिया |
| 344 | मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए सक्षिप्त प्रक्रिया | 383 | मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए सक्षिप्त प्रक्रिया |
| 345 | अवमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया | 384 | अवमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया |
| 346 | जहां न्यायालय का विचार है कि मामले में धारा 345 के अधीन कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए वहां प्रक्रिया | 385 | जहां न्यायालय का विचार है कि मामले में धारा 384 के अधीन कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए वहां प्रक्रिया |
| 347 | रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझा जाएगा | 386 | रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझा जाएगा |
| 348 | माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन | 387 | माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन |
| 349 | उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इन्कार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी | 388 | उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इन्कार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी |

तुलनात्मक तालिका

| दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 | | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|---|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 350 | समन में पालन के साक्षी में हाजिर न होने पर उसे दण्डित करने के लिए सक्षिप्त प्रक्रिया | 389 | समन के पालन में साक्षी के हाजिर न होने पर उसे दण्डित करने के लिए सक्षिप्त प्रक्रिया |
| 351 | धारा 344, 345, 349 और 350 के अधीन दोषसिद्धियों से अपीलें | 390 | धारा 383, धारा 384, धारा 388 और धारा 389 के अधीन दोषसिद्धियों से अपीलें |
| 352 | कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के समक्ष किए गए अपराधों का उनके द्वारा विचारण न किया जाना | 391 | कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के समक्ष किए गए अपराधों का उनके द्वारा विचारण न किया जाना |
| 353 | निर्णय | 392 | निर्णय |
| 354 | निर्णय की भाषा और अन्तर्वस्तु | 393 | निर्णय की भाषा और अन्तर्वस्तु |
| 355 | महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय | — | — |
| 356 | पूर्वतन सिद्धदोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश | 394 | पूर्वतन सिद्धदोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश |
| 357 | प्रतिकर देने का आदेश | 395 | प्रतिकर देने का आदेश |
| 357क | पीडित प्रतिकर स्कीम | 396 | पीडित प्रतिकर स्कीम |
| 357ख | भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 या धारा 376घ के तहत जुर्माने के अतिरिक्त संदाय | 396 | पीडित प्रतिकर स्कीम |
| 357ग | पीड़ितों का उपचार | 397 | पीड़ितों का उपचार |
| 358 | निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर | 399 | निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर |
| 359 | असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश | 400 | असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश |
| 360 | सदाचरण की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात् छोड़ देने का आदेश | 401 | सदाचरण की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात् छोड़ देने का आदेश |
| 361 | कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना | 402 | कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना |
| 362 | न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना | 403 | न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना |
| 363 | अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति का दिया जाना | 404 | अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति का दिया जाना |
| 364 | निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा | 405 | निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा |
| 365 | सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दण्डादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना | 406 | सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दण्डादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना |
| 366 | सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्डादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना | 407 | सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्डादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना |

तुलनात्मक तालिका

| दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 | | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 367 | अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निदेश देने की शक्ति | 408 | अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निदेश देने की शक्ति |
| 368 | दण्डादेश को पुष्ट करने या दोषसिद्धि को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति | 409 | दण्डादेश को पुष्ट करने या दोषसिद्धि को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति |
| 369 | नए दण्डादेश की पुष्टि का दो न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना | 410 | नए दण्डादेश की पुष्टि या नए दंडादेश का दो न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना |
| 370 | मतभेद की दशा में प्रक्रिया | 411 | मतभेद की दशा में प्रक्रिया |
| 371 | उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया | 412 | उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया |
| 372 | जब तक अन्यथा उपबंधित न हो किसी अपील का न होना | 413 | जब तक अन्यथा उपबंधित न हो किसी अपील का न होना |
| 373 | परिशान्ति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इन्कार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील | 414 | परिशान्ति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इन्कार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील |
| 374 | दोषसिद्धि से अपील | 415 | दोषसिद्धि से अपील |
| 375 | कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे, अपील न होना | 416 | कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे, अपील न होना |
| 376 | छोटे मामलों में अपील न होना | 417 | छोटे मामलों में अपील न होना |
| 377 | राज्य सरकार द्वारा दण्डादेश के विरुद्ध अपील | 418 | राज्य सरकार द्वारा दण्डादेश के विरुद्ध अपील |
| 378 | दोषमुक्ति की दशा में अपील | 419 | दोषमुक्ति की दशा में अपील |
| 379 | कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील | 420 | कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील |
| 380 | कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार | 421 | कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार |
| 381 | सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएंगी | 422 | सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएंगी |
| 382 | अपील की अर्जी | 423 | अपील की अर्जी |
| 383 | जब अपीलार्थी जेल में है, तब प्रक्रिया | 424 | जब अपीलार्थी जेल में है तब प्रक्रिया |
| 384 | अपील का संक्षेपत: खारिज किया जाना | 425 | अपील का संक्षेपत: खारिज किया जाना |
| 385 | संक्षेपत: खारिज न की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया | 426 | संक्षेपत: खारिज न की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया |
| 386 | अपील न्यायालय की शक्तियां | 427 | अपील न्यायालय की शक्तियां |
| 387 | अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय | 428 | अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय |
| 388 | अपील में उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना | 429 | अपील में उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना |

तुलनात्मक तालिका

| दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 | | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|---|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 389 | अपील लम्बित रहने तक दण्डादेश का निलम्बन; अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना | 430 | अपील लम्बित रहने तक दण्डादेश का निलम्बन; अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना |
| 390 | दोषमुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी | 431 | दोषमुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी |
| 391 | अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जाने का निदेश दे सकेगा | 432 | अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जाने का निदेश दे सकेगा |
| 392 | जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप से विभाजित हों, हां प्रक्रिया | 433 | जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप से विभाजित हों, वहां प्रक्रिया |
| 393 | अपील पर आदेशों और निर्णयों का अन्तिम होना | 434 | अपील पर आदेशों और निर्णयों का अन्तिम होना |
| 394 | अपीलों का उपशमन | 435 | अपीलों का उपशमन |
| 395 | उच्च न्यायालय को निर्देश | 436 | उच्च न्यायालय को निर्देश |
| 396 | उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार मामले का निपटारा | 437 | उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार मामले का निपटारा |
| 397 | पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना | 438 | पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना |
| 398 | जांच करने का आदेश देने की शक्ति | 439 | जांच करने का आदेश देने की शक्ति |
| 399 | सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियां | 440 | सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियां |
| 400 | अपर सेशन न्यायाधीश की शक्ति | 441 | अपर सेशन न्यायाधीश की शक्ति |
| 401 | उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां | 442 | उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां |
| 402 | उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने या अन्तरित करने की शक्ति | 443 | उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने या अन्तरित करने की शक्ति |
| 403 | पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प | 444 | पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प |
| 404 | महानगर मजिस्ट्रेट के विनिश्चय के आधारों के कथन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना | - | - |
| 405 | उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना | 445 | उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना |
| 406 | मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति | 446 | मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति |
| 407 | मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति | 447 | मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति |
| 408 | मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति | 448 | मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति |
| 409 | सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना | 449 | सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना |

तुलनात्मक तालिका

| दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 | | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 410 | न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना | 450 | न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना |
| 411 | कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के हवाले किया जाना या वापस लिया जाना | 451 | कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का हवाले किया जाना या वापस लिया जाना |
| 412 | कारणों का अभिलिखित किया जाना | 452 | कारणों का अभिलिखित किया जाना |
| 413 | धारा 368 के अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन | 453 | धारा 409 के अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन |
| 414 | उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दण्डादेश का निष्पादन | 454 | उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दण्डादेश का निष्पादन |
| 415 | उच्चतम न्यायालय की अपील की दशा में मृत्यु दण्डादेश के निष्पादन का मुलतवी किया जाना | 455 | उच्चतम न्यायालय को अपील की दशा में मृत्यु दण्डादेश के निष्पादन का मुलतवी किया जाना |
| 416 | गर्भवती स्त्री को मृत्युदण्ड का मुलतवी किया जाना | 456 | गर्भवती महिला को मृत्यु दण्ड का लघुकरण किया जाना |
| 417 | कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति | 457 | कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति |
| 418 | कारावास के दण्डादेश का निष्पादन | 458 | कारावास के दण्डादेश का निष्पादन |
| 419 | निष्पादन के लिए वारण्ट का निदेशन | 459 | निष्पादन के लिए वारण्ट का निदेशन |
| 420 | वारण्ट किसको सौंपा जाएगा | 460 | वारण्ट किसको सौंपा जाएगा |
| 421 | जुर्माना उद्ग्रहीत करने के लिए वारण्ट | 461 | जुर्माना उद्ग्रहीत करने के लिए वारण्ट |
| 422 | ऐसे वारण्ट का प्रभाव | 462 | ऐसे वारण्ट का प्रभाव |
| 423 | जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए किसी ऐसे राज्यक्षेत्र के न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, जारी किया गया वारण्ट | 463 | जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए किसी ऐसे राज्यक्षेत्र के न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, जारी किया गया वारण्ट |
| 424 | कारावास के दण्डादेश के निष्पादन का निलंबन | 464 | कारावास के दण्डादेश के निष्पादन का निलंबन |
| 425 | वारण्ट कौन जारी कर सकेगा | 465 | वारण्ट कौन जारी कर सकेगा |
| 426 | निकल भागे सिद्धदोष पर दण्डादेश कब प्रभावशील होगा | 466 | निकल भागे सिद्धदोष पर दण्डादेश कब प्रभावशील होगा |
| 427 | ऐसे अपराधी को दण्डादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दण्डादिष्ट है | 467 | ऐसे अपराधी को दण्डादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दण्डादिष्ट है |
| 428 | अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दण्डादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना | 468 | अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दण्डादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना |
| 429 | व्यावृत्ति | 469 | व्यावृत्ति |
| 430 | दण्डादेश के निष्पादन पर वारण्ट का लौटाया जाना | 470 | दण्डादेश के निष्पादन पर वारण्ट का लौटाया जाना |

तुलनात्मक तालिका

| दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 | | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|---|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 431 | जिस धन का संदाय करने का आदेश दिया गया है उसका जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकता | 471 | जिस धन का संदाय करने का आदेश दिया गया है उसका जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकता |
| 432 | दण्डादेशों का निलम्बन या परिहार करने की शक्ति | 473 | दण्डादेशों का निलम्बन या परिहार करने की शक्ति |
| 433 | दण्डादेश के लघुकरण की शक्ति | 474 | दण्डादेश लघुकरण करने की शक्ति |
| 433क | कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों पर निर्बंधन | 475 | कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों पर निर्बंधन |
| 434 | मृत्यु दण्डादेशों की दशा में केन्द्रीय सरकार की समवर्ती शक्ति | 476 | मृत्यु दण्डादेशों की दशा में केन्द्रीय सरकार की समवर्ती शक्ति |
| 435 | कुछ मामलों में राज्य सरकार का केन्द्रीय सरकार से परामर्श के पश्चात् कार्य करना | 477 | कतिपय मामलों में राज्य सरकार का केन्द्रीय सरकार से सहमति के पश्चात् कार्य करना |
| 436 | किन मामलों में जमानत ली जाएगी | 478 | किन मामलों में जमानत ली जाएगी |
| 436क | अधिकतम अर्वाधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी को निरुद्ध किया जा सकता है | 479 | अधिकतम अर्वाधि, जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है |
| 437 | अजमानतीय अपराध की दशा में जब जमानत ली जा सकेगी | 480 | अजमानतीय अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी |
| 437क | अभियुक्त को उच्चतर अपील न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा के लिए जमानत | 481 | अभियुक्त को अगले अपील न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा के लिए जमानत |
| 438 | गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निदेश | 482 | गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निदेश |
| 439 | जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियाँ | 483 | जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियाँ |
| 440 | बन्धपत्र की रकम और उसे घटाना | 484 | बन्धपत्र की रकम और उसे घटाना |
| 441 | अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंधपत्र | 485 | अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंधपत्र |
| 441क | प्रतिभुओं द्वारा घोषणा | 486 | प्रतिभुओं द्वारा घोषणा |
| 442 | अभिरक्षा से उन्मोचन | 487 | अभिरक्षा से उन्मोचन |
| 443 | जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त है, तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति | 488 | जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति |
| 444 | प्रतिभुओं का उन्मोचन | 489 | प्रतिभुओं का उन्मोचन |
| 445 | मुचलके के बजाय निक्षेप | 490 | मुचलके के बजाय निक्षेप |
| 446 | प्रक्रिया, जब बन्धपत्र समपहत कर लिया जाता है | 491 | प्रक्रिया, जब बन्धपत्र समपहत कर लिया जाता है |
| 446क | बन्धपत्र और जमानत-पत्र को रद्द करना | 492 | बन्धपत्र और जमानत पत्र का रद्दकरण |

तुलनात्मक तालिका

| दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 | | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|---|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 447 | प्रतिभू के दिवालिया हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने या बन्धपत्र का समपहरण हो जाने की दशा में प्रक्रिया | 493 | प्रतिभू के दिवालिया हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने या बन्धपत्र का समपहरण हो जाने की दशा में प्रक्रिया |
| 448 | अवयस्क से अपेक्षित बन्धपत्र | 494 | बालक से अपेक्षित बन्धपत्र |
| 449 | धारा 446 के अधीन आदेशों से अपील | 495 | धारा 491 के अधीन आदेशों से अपील |
| 450 | कुछ मुचलकों पर देय रकम का उद्ग्रहण करने का निदेश देने की शक्ति | 496 | कतिपय मुचलकों पर देय रकम का उद्ग्रहण करने का निदेश देने की शक्ति |
| 451 | कुछ मामलों में विचारण लम्बित रहने तक सम्पत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश | 497 | कतिपय मामलों में विचारण लम्बित रहने तक सम्पत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश |
| 452 | विचारण की समाप्ति पर सम्पत्ति के व्ययन के लिए आदेश | 498 | विचारण की समाप्ति पर सम्पत्ति के व्ययन के लिए आदेश |
| 453 | अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय | 499 | अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय |
| 454 | धारा 452 या 453 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील | 500 | धारा 498 या धारा 499 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील |
| 455 | अपमानलेखीय और अन्य सामग्री को नष्ट किया जाना | 501 | अपमानलेखीय और अन्य सामग्री को नष्ट किया जाना |
| 456 | स्थावर सम्पत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति | 502 | स्थावर सम्पत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति |
| 457 | सम्पत्ति के अधिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया | 503 | सम्पत्ति के अधिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया |
| 458 | जहां छह मास के अन्दर कोई दावेदार हाजिर न हो, वहां प्रक्रिया | 504 | जहां छह मास के अन्दर कोई दावेदार हाजिर न हो वहां प्रक्रिया |
| 459 | विनश्वर सम्पत्ति को बेचने की शक्ति | 505 | विनश्वर सम्पत्ति को बेचने की शक्ति |
| 460 | वे अनियमितताएं, जो कार्यवाही को दूषित नहीं करतीं | 506 | वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करतीं |
| 461 | वे अनियमितताएं, जो कार्यवाही को दूषित करती हैं | 507 | वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित करती हैं |
| 462 | गलत स्थान में कार्यवाही | 508 | गलत स्थान में कार्यवाही |
| 463 | धारा 164 या धारा 281 के उपबंधों का अनुपालन | 509 | धारा 183 या धारा 316 के उपबंधों का अनुपालन |
| 464 | आरोप विरचित न करने या उसके भाव या उसमें गलती का प्रभाव | 510 | आरोप विरचित न करने या उसके अभाव या उसमें गलती का प्रभाव |
| 465 | निष्कर्ष या दण्डादेश कब गलती, लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा | 511 | निष्कर्ष या दण्डादेश कब गलती, लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा |
| 466 | त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना | 512 | त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना |

तुलनात्मक तालिका

| दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 | | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 467 | परिभाषाएं | 513 | परिभाषा |
| 468 | परिसीमा-काल की समाप्ति के पश्चात् संज्ञान का वर्णन | 514 | परिसीमा-काल की समाप्ति के पश्चात् संज्ञान का वर्जन |
| 469 | परिसीमा-काल का प्रारम्भ | 515 | परिसीमा-काल का प्रारम्भ |
| 470 | कुछ दशाओं में समय का अपवर्जन | 516 | कतिपय मामलों में समय का अपवर्जन |
| 471 | जिस तारीख को न्यायालय बन्द हो, उस तारीख का अपवर्जन | 517 | जिस तारीख को न्यायालय बन्द हो उस तारीख का अपवर्जन |
| 472 | चालू रहने वाला अपराध | 518 | चालू रहने वाला अपराध |
| 473 | कुछ दशाओं में परिसीमा-काल का विस्तारण | 519 | कतिपय मामलों में परिसीमा-काल का विस्तारण |
| 474 | उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारण | 520 | उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारण |
| 475 | सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय व्यक्तियों का कमान आफिसरों को सौंपा जाना | 521 | सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय व्यक्तियों का कमान आफिसरों को सौंपा जाना |
| 476 | प्ररूप | 522 | प्ररूप |
| 477 | उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति | 523 | उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति |
| 478 | कुछ दशाओं में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सौंपे गए कृत्यों को परिवर्तित करने की शक्ति | 524 | कतिपय मामलों में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सौंपे गए कृत्यों को परिवर्तित करने की शक्ति |
| 479 | वह मामला, जिसमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट वैयक्तिक रूप से हितबद्ध है | 525 | वे मामले जिसमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट वैयक्तिक रूप से हितबद्ध है |
| 480 | विधि-व्यवसाय करने वाले प्लीडर का कुछ न्यायालयों में मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठना | 526 | विधि-व्यवसाय करने वाले अधिवक्ता का कुछ न्यायालयों में मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठना |
| 481 | विक्रय से सम्बद्ध लोक सेवक का सम्पत्ति का क्रय न करना और उसकी बोली न लगाना | 527 | विक्रय से सम्बद्ध लोक सेवक का सम्पत्ति का क्रय न करना और उसके लिए बोली न लगाना |
| 482 | उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति | 528 | उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति |
| 483 | न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्तव्य | 529 | न्यायालयों पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्तव्य |
| 484 | निरसन और व्यावृत्तियां | 531 | निरसन और व्यावृत्तियां |
| पहली अनुसूची | अपराधों का वर्गीकरण | पहली अनुसूची | अपराधों का वर्गीकरण |
| दूसरी अनुसूची | प्ररूप 1 से 56 | दूसरी अनुसूची | प्ररूप 1 से 58 |

तुलनात्मक तालिका

| दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 | | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 467 | परिभाषाएं | 513 | परिभाषा |
| 468 | परिसीमा-काल की समाप्ति के पश्चात् संज्ञान का वर्णन | 514 | परिसीमा-काल की समाप्ति के पश्चात् संज्ञान का वर्जन |
| 469 | परिसीमा-काल का प्रारम्भ | 515 | परिसीमा-काल का प्रारम्भ |
| 470 | कुछ दशाओं में समय का अपवर्जन | 516 | कतिपय मामलों में समय का अपवर्जन |
| 471 | जिस तारीख को न्यायालय बन्द हो, उस तारीख का अपवर्जन | 517 | जिस तारीख को न्यायालय बन्द हो उस तारीख का अपवर्जन |
| 472 | चालू रहने वाला अपराध | 518 | चालू रहने वाला अपराध |
| 473 | कुछ दशाओं में परिसीमा-काल का विस्तारण | 519 | कतिपय मामलों में परिसीमा-काल का विस्तारण |
| 474 | उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारण | 520 | उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारण |
| 475 | सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय व्यक्तियों का कमान आफिसरों को सौंपा जाना | 521 | सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय व्यक्तियों का कमान आफिसरों को सौंपा जाना |
| 476 | प्ररूप | 522 | प्ररूप |
| 477 | उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति | 523 | उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति |
| 478 | कुछ दशाओं में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सौंपे गए कृत्यों को परिवर्तित करने की शक्ति | 524 | कतिपय मामलों में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सौंपे गए कृत्यों को परिवर्तित करने की शक्ति |
| 479 | वह मामला, जिसमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट वैयक्तिक रूप से हितबद्ध है | 525 | वे मामले जिसमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट वैयक्तिक रूप से हितबद्ध है |
| 480 | विधि-व्यवसाय करने वाले प्तीडर का कुछ न्यायालयों में मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठना | 526 | विधि-व्यवसाय करने वाले अधिवक्ता का कुछ न्यायालयों में मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठना |
| 481 | विक्रय से सम्बद्ध लोक सेवक का सम्पत्ति का क्रय न करना और उसकी बोली न लगाना | 527 | विक्रय से सम्बद्ध लोक सेवक का सम्पत्ति का क्रय न करना और उसके लिए बोली न लगाना |
| 482 | उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति | 528 | उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति |
| 483 | न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्तव्य | 529 | न्यायालयों पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्तव्य |
| 484 | निरसन और व्यावृत्तियां | 531 | निरसन और व्यावृत्तियां |
| पहली अनुसूची | अपराधों का वर्गीकरण | पहली अनुसूची | अपराधों का वर्गीकरण |
| दूसरी अनुसूची | प्ररूप 1 से 56 | दूसरी अनुसूची | प्ररूप 1 से 58 |

भारतीय साक्ष्य अधिनियम
2023

तुलनात्मक तालिका

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की सम्बन्धित प्रावधानों की तुलना

| भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 | | भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 | |
|------------------------------|--|------------------------------|---|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 1 | संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ | 1 | संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ |
| 2 | अधिनियमितियों का निरसन | 170 | निरसन और व्यावृत्ति |
| 3 | निर्वचन-खण्ड | 2 | परिभाषाएं |
| 3 पैरा 1 | "न्यायालय" | 2(1)(क) | "न्यायालय" |
| 3 पैरा 2 | "तथ्य" | 2(1)(च) | "तथ्य" |
| 3 पैरा 3 | "सुसंगत" | 2(1)(ट) | "सुसंगत" |
| 3 पैरा 4 | "विवाद्यक तथ्य" | 2(1)(छ) | "विवाद्यक तथ्य" |
| 3 पैरा 5 | "दस्तावेज" | 2(1)(घ) | "दस्तावेज" |
| 3 पैरा 6 | "साक्ष्य" | 2(1)(ङ) | "साक्ष्य" |
| 3 पैरा 7 | "साबित" | 2(1)(ज) | "साबित" |
| 3 पैरा 8 | "नासाबित" | 2(1)(ग) | "नासाबित" |
| 3 पैरा 9 | "साबित नहीं हुआ" | 2(1)(झ) | "साबित नहीं हुआ" |
| 3 पैरा 10 | "भारत" | - | - |
| 4 पैरा 1 | "उपधारणा कर सकेगा" | 2(1)(ज) | "उपधारणा कर सकेगा" |
| 4 पैरा 2 | "उपधारणा करेगा" | 2(1)(ठ) | "उपधारणा करेगा" |
| 4 पैरा 3 | "निश्चायक सबूत" | 2(1)(ख) | "निश्चायक सबूत" |
| 5 | विवाद्यक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा | 3 | विवाद्यक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा |
| 6 | एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति | 4 | एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति |
| 7 | वे तथ्य जो विवाद्यक तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम हैं | 5 | वे तथ्य, जो विवाद्यक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम हैं |
| 8 | हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात् का आचरण | 6 | हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात् का आचरण |
| 9 | सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुरःस्थापन के लिए आवश्यक तथ्य | 7 | विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुरःस्थापन के लिए आवश्यक तथ्य |
| 10 | सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें | 8 | सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें |
| 11 | वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं कब सुसंगत हैं | 9 | वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं कब सुसंगत हैं |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 | | भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 | |
|------------------------------|--|------------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 12 | नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत हैं | 10 | रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य नुकसानी के लिए वादों में सुसंगत हैं |
| 13 | जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है, तब सुसंगत तथ्य | 11 | जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है, तब सुसंगत तथ्य |
| 14 | मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य | 12 | मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य |
| 15 | कार्य आकस्मिक या साशय था, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य | 13 | कार्य आकस्मिक या साशय था इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य |
| 16 | कारबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है | 14 | कारबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है |
| 17 | स्वीकृति की परिभाषा | 15 | स्वीकृति की परिभाषा |
| 18 | स्वीकृति कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा प्रतिनिधिक रूप से वादकर्ता द्वारा | 16 | कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा स्वीकृति |
| 19 | उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए | 17 | उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए |
| 20 | वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ | 18 | वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ |
| 21 | स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना | 19 | स्वीकृतियों को उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना |
| 22 | दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं | 20 | दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं |
| 22क | इलेक्ट्रानिक अभिलेखों की अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं | - | - |
| 23 | सिविल मामलों में स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं | 21 | सिविल मामलों में स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं |
| 24 | उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है | 22(1) | उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है |
| 25 | पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित न किया जाना | 23(1) | पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति |
| 26 | पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना | 23(2) | पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 | | भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 | |
|------------------------------|---|------------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 27 | अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी | 23(2) | पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति |
| 28 | उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात् की गई संस्वीकृति सुसंगत है | 22(1) | उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है |
| 29 | अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति को गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना | 22(2) | उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है |
| 30 | साबित संस्वीकृति को, जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है विचार में लेना | 24 | साबित संस्वीकृति को, जो उसे करने वाले व्यक्ति और एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है विचार में लेना |
| 31 | स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत नहीं हैं, किन्तु विबन्ध कर सकती हैं | 25 | स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत नहीं हैं, किन्तु विबन्ध कर सकती हैं |
| 32 | वे दशाएँ जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता, इत्यादि | 26 | वे दशाएँ जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता, इत्यादि |
| 33 | किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति | 27 | किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति |
| 34 | लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियाँ, जिनमें वे शामिल हैं, जिन्हें इलेक्ट्रानिक रूप में रखा गया है कब सुसंगत है | 28 | लेखा-पुस्तकों की प्रविष्टियाँ कब सुसंगत हैं |
| 35 | कर्तव्य-पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति | 29 | कर्तव्य-पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति |
| 36 | मानचित्रों, चार्टों और रेखाओं के कथनों की सुसंगति | 30 | मानचित्रों, चार्टों और रेखाओं के कथनों की सुसंगति |
| 37 | किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अन्तर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति | 31 | किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अन्तर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति |
| 38 | विधि की पुस्तकों में अन्तर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति | 32 | विधि की पुस्तकों में अन्तर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रानिक या डिजिटल प्ररूप भी हैं |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 | | भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 | |
|------------------------------|--|------------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 39 | जबकि कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक अथवा पत्रों या कागज-पत्रों की आवली का भाग हो, तब क्या साक्ष्य दिया जाए | 33 | जबकि कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक या पत्रों या कागज-पत्रों की आवली का भाग हो, तब क्या साक्ष्य दिया जाए |
| 40 | द्वितीय वाद या विचारण के वारणार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत हैं | 34 | द्वितीय वाद या विचारण के वारणार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत हैं |
| 41 | प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति | 35 | प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति |
| 42 | धारा 41 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव | 36 | धारा 35 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव |
| 43 | धाराओं 40, 41 और 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत हैं | 37 | धारा 34, धारा 35 और धारा 36 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत हैं |
| 44 | निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुस्संधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी | 38 | निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुस्संधि या न्यायालय की अक्षमता साबित जा सकेगी |
| 45 | विशेषज्ञों की रायें | 39(1) | विशेषज्ञों की रायें |
| 45क | इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय | 39(2) | विशेषज्ञों की रायें |
| 46 | विशेषज्ञों की रायों से संबंधित तथ्य | 40 | विशेषज्ञों की रायों से संबंधित तथ्य |
| 47 | हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है | 41(1) | हस्तलेख और हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है |
| 47क | इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के बारे में राय कब सुसंगत है | 41(2) | हस्तलेख और हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है |
| 48 | अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में रायें कब सुसंगत हैं | 42 | साधारण रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में रायें कब सुसंगत हैं |
| 49 | प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में रायें कब सुसंगत हैं | 43 | प्रथाओं, सिद्धान्तों आदि के बारे में रायें कब सुसंगत हैं |
| 50 | नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है | 44 | नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है |
| 51 | राय के आधार कब सुसंगत हैं | 45 | राय के आधार कब सुसंगत हैं |
| 52 | सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील, विसंगत है | 46 | सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील, विसंगत है |
| 53 | दांडिक मामलों में प्रवर्तन अच्छा शील सुसंगत है | 47 | दाण्डिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है |

| भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 | | भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 | |
|------------------------------|---|------------------------------|---|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 53क | कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना | 48 | कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना |
| 54 | उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत नहीं है | 49 | उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत नहीं है |
| 55 | नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील | 50 | नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील |
| 56 | न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है | 51 | न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है |
| 57 | वे तथ्य, जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को करनी होगी | 52 | वे तथ्य, जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय करेगा |
| 58 | स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है | 53 | स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है |
| 59 | मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना | 54 | मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना |
| 60 | मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए | 55 | मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना |
| 61 | दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु का सबूत | 56 | दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु का सबूत |
| 62 | प्राथमिक साक्ष्य | 57 | प्राथमिक साक्ष्य |
| 63 | द्वितीयक साक्ष्य | 58 | द्वितीयक साक्ष्य |
| 64 | दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना | 59 | दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना |
| 65 | अवस्थाएँ जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा | 60 | अवस्थाएँ जिनमें दस्तावेजों के सम्बन्ध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा |
| 65क | इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंध | 62 | इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से सम्बन्धित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंध |
| 65ख | इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता | 63 | इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता |
| 66 | पेश करने की सूचना के बारे में नियम | 64 | पेश करने की सूचना के बारे में नियम |
| 67 | जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश किए गए दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख का साबित किया जाना | 65 | जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख का साबित किया जाना |
| 67क | इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक | 66 | इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत |
| 68 | ऐसी दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना उसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है | 67 | ऐसी दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है |
| 69 | जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले, तब सबूत | 68 | जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले, तब सबूत |
| 70 | अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति | 69 | अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति |
| 71 | जबकि अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है, तब सबूत | 70 | जबकि अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है, तब सबूत |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 | | भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 | |
|------------------------------|--|------------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 72 | उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है | 71 | उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है |
| 73 | हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना अन्यों से जो स्वीकृत या साबित हैं | 72 | हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना अन्यों से जो स्वीकृत या साबित हैं |
| 73क | अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत | 73 | डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत |
| 74 | लोक-दस्तावेजें | 74(1) | लोक और प्राइवेट दस्तावेज |
| 75 | प्राइवेट दस्तावेजें | 74(2) | लोक और प्राइवेट दस्तावेज |
| 76 | लोक-दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ | 75 | लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ |
| 77 | प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेजों का सबूत | 76 | प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेजों का सबूत |
| 78 | अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत | 77 | अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत |
| 79 | प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा | 78 | प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा |
| 80 | साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा | 79 | साक्ष्य, आदि के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा |
| 81 | राजपत्रों, समाचारपत्रों, पार्लियामेन्ट के प्राइवेट एक्टों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं | 80 | राजपत्रों, समाचारपत्रों, और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा |
| 81क | इलैक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्रों के बारे में उपधारणा | 81 | इलैक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख में राजपत्र के बारे में उपधारणा |
| 82 | मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैण्ड में ग्राह्य दस्तावेज के बारे में उपधारणा | - | - |
| 83 | सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणा | 82 | सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणा |
| 84 | विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्ट के बारे में उपधारणा | 83 | विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में उपधारणा |
| 85 | मुख्तारनामों के बारे में उपधारणा | 84 | मुख्तारनामों के बारे में उपधारणा |
| 85क | इलेक्ट्रॉनिक करारों के बारे में उपधारणा | 85 | इलैक्ट्रॉनिक करारों के बारे में उपधारणा |
| 85ख | इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के बारे में उपधारणा | 86 | इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलैक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में उपधारणा |
| 85ग | इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाणपत्रों के बारे में उपधारणा | 87 | इलैक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों के बारे में उपधारणा |
| 86 | विदेशी न्यायिक अभिलेखों को प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा | 88 | विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 | | भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 | |
|------------------------------|---|------------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 87 | पुस्तकों, मानचित्रों और चाटों के बारे में उपधारणा | 89 | पुस्तकों मानचित्रों और चाटों के बारे में उपधारणा |
| 88 | तार संदेशों के बारे में उपधारणा | — | — |
| 88क | इलैक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में उपधारणा | 90 | इलैक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में उपधारणा |
| 89 | पेश न की गई दस्तावेजों के सम्यक् निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा | 91 | पेश न किए गए दस्तावेजों के सम्यक् निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा |
| 90 | तीस वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में उपधारणा | 92 | तीस वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में उपधारणा |
| 90क | पाँच वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा | 93 | पाँच वर्ष पुराने इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा |
| 91 | दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध सविदाओं, अनुदानों तथा सम्पत्ति के अन्य व्ययनों के निबन्धनों का साक्ष्य | 94 | दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध सविदाओं, अनुदानों और संपत्ति के अन्य व्ययनों के निबन्धनों का साक्ष्य |
| 92 | मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन | 95 | मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन |
| 93 | सदिग्धार्थ दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन | 96 | सदिग्धार्थ दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन |
| 94 | विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन | 97 | विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन |
| 95 | विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य | 98 | विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य |
| 96 | उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है | 99 | उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है |
| 97 | तथ्यों के दो संवर्गों में से, जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठीक-ठीक लागू नहीं होती, उनमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य | 100 | तथ्यों के दो संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठीक-ठीक लागू नहीं होती, उसमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य |
| 98 | न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य | 101 | न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य |
| 99 | दस्तावेज के निबन्धनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा | 102 | दस्तावेज के निबन्धनों में फेर-फार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा |
| 100 | भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के विल संबंधी उपबंधों की व्यावृत्ति | 103 | भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के विल सम्बन्धी उपबंधों की व्यावृत्ति |
| 101 | सबूत का भार | 104 | सबूत का भार |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 | | भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 | |
|------------------------------|---|------------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 102 | सबूत का भार किस पर होता है | 105 | सबूत का भार किस पर होता है |
| 103 | विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार | 106 | विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार |
| 104 | साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो, उसे साबित करने का भार | 107 | साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो, उसे साबित करने का भार |
| 105 | यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अन्तर्गत आता है | 108 | यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अन्तर्गत आता है |
| 106 | विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार | 109 | विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार |
| 107 | उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका तीस वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है | 110 | उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका तीस वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है |
| 108 | यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में सात वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है, जीवित है | 111 | यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में सात वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है, जीवित है |
| 109 | भागीदारों, भू-स्वामी और अधिभारी, मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार | 112 | भागीदारों, भू-स्वामी और अधिधारी, मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार |
| 110 | स्वामित्व के बारे में सबूत का भार | 113 | स्वामित्व के बारे में सबूत का भार |
| 111 | उन संव्यवहारों में सद्भाव साबित किया जाना जिनमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है | 114 | उन संव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जिनमें एक पक्षकार का सम्बन्ध सक्रिय विश्वास का है |
| 111क | कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा | 115 | कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा |
| 112 | विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है | 116 | विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है |
| 113 | राज्य क्षेत्र के अध्यर्पण का सबूत | - | - |
| 113क | किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा | 117 | किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा |
| 113ख | दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा | 118 | दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा |
| 114 | न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा | 119 | न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा |
| 114क | बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने के बारे में उपधारणा | 120 | बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने की उपधारणा |
| 115 | विबन्ध | 121 | विबन्ध |
| 116 | अधिधारी का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबन्ध | 122 | अधिधारी का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबन्ध |
| 117 | विनिमयपत्र के प्रतिगृहीता का, उपनिहिती का या अनुज्ञप्तिधारी का विबन्ध | 123 | विनिमय-पत्र के प्रतिगृहीता का, उपनिहिती का या अनुज्ञप्तिधारी का विबन्ध |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 | | भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 | |
|------------------------------|---|------------------------------|--|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 118 | कौन साक्ष्य दे सकेगा | 124 | कौन साक्ष्य दे सकेगा |
| 119 | साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना | 125 | साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना |
| 120 | सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नियां या पति, दार्डिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी | 126 | कतिपय मामलों में पति और पत्नी की साक्षी के रूप में सक्षमता |
| 121 | न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट | 127 | न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट |
| 122 | विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं | 128 | विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं |
| 123 | राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य | 129 | राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य |
| 124 | शासकीय संसूचनाएं | 130 | शासकीय संसूचनाएं |
| 125 | अपराधों के करने के बारे में जानकारी | 131 | अपराधों के करने के बारे में जानकारी |
| 126 | वृत्तिक संसूचनाएं | 132(1)/(2) | वृत्तिक संसूचनाएं |
| 127 | धारा 126 दुभाषियों आदि को लागू होगी | 132(3) | वृत्तिक संसूचनाएं |
| 128 | साक्ष्य देने के लिए स्वयमेव उद्यत होने से विशेषाधिकार अभिव्यक्त नहीं हो जाता | 133 | साक्ष्य देने के लिए स्वयमेव उद्यत होने से विशेषाधिकार अभिव्यक्त नहीं हो जाता |
| 129 | विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं | 134 | विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचना |
| 130 | जो साक्षी पक्षकार नहीं है, उसके हक-विलेखों को पेश किया जाना | 135 | जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक-विलेखों का पेश किया जाना |
| 131 | उन दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का पेश किया जाना, जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति, जिसका उन पर कब्जा है, पेश करने से इन्कार कर सकता था | 136 | ऐसे दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का पेश किया जाना, जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति, जिसका उन पर कब्जा है, पेश करने से इन्कार कर सकता था |
| 132 | इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा | 137 | इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा |
| 133 | सह-अपराधी | 138 | सहअपराधी |
| 134 | साक्षियों की संख्या | 139 | साक्षियों की संख्या |
| 135 | साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम | 140 | साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम |
| 136 | न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा | 141 | न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा |
| 137 | मुख्य परीक्षा | 142 | साक्षियों की परीक्षा |
| 138 | परीक्षाओं का क्रम | 143 | परीक्षाओं का क्रम |
| 139 | किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा | 144 | किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए बुलाए गए व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा |

तुलनात्मक तालिका

| भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 | | भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 | |
|------------------------------|---|------------------------------|---|
| धारा | शीर्षक | धारा | शीर्षक |
| 140 | शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी | 145 | शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी |
| 141 | सूचक प्रश्न | 146(1) | सूचक प्रश्न |
| 142 | उन्हें कब नहीं पूछना चाहिए | 146(2)/(3) | सूचक प्रश्न |
| 143 | उन्हें कब पूछा जा सकेगा | 146(4) | सूचक प्रश्न |
| 144 | लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य | 147 | लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य |
| 145 | पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा | 148 | पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा |
| 146 | प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न | 149 | प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न |
| 147 | साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए | 150 | साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए |
| 148 | न्यायालय विनिश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा | 151 | न्यायालय विनिश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा |
| 149 | युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जाएगा | 152 | युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछा जाएगा |
| 150 | युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया | 153 | युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया |
| 151 | अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न | 154 | अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न |
| 152 | अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न | 155 | अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न |
| 153 | सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन | 156 | सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खण्डन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन |
| 154 | पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न | 157 | पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न |
| 155 | साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप | 158 | साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप |
| 156 | सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे | 159 | सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की सम्पुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे |
| 157 | उसी तथ्य के बारे में पश्चात्पूर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे | 160 | उसी तथ्य के बारे में पश्चात्पूर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे |
| 158 | साबित कथन के बारे में, जो कथन धारा 32 या 33 के अधीन सुसंगत है, कौन सी बातें साबित की जा सकेंगी | 161 | साबित कथन के बारे में, जो कथन धारा 26 या धारा 27 के अधीन सुसंगत है, कौन सी बातें साबित की जा सकेंगी |
| 159 | स्मृति ताजी करना | 162 | स्मृति ताजी करना |

जाँच अधिकारी के लिए
कुछ ध्यान रखने योग्य
महत्वपूर्ण बातें

1. संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर क्षेत्र पर विचार किए बिना Zero FIR दर्ज की जाएगी।
2. इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से आई संज्ञेय अपराध की सूचना में, सूचना देने वाले के 3 दिन के अंदर हस्ताक्षर करवाये जाएंगे व आगे की कार्यवाही की जाएगी।
3. 3 से 7 साल तक की सजा वाले अपराधों में प्रारम्भिक जाँच का प्रावधान।
4. पीड़ित को 90 दिन के अन्दर मुकदमा की प्रगति रिपोर्ट बताई जाएगी।
5. प्रत्येक मुकदमा में दिये गये निर्धारित समय का ध्यान रखा जायेगा।
6. किसी संपत्ति, वस्तु या चीज के स्थान की तलाशी करने या कब्जे में लेने की प्रक्रिया व उनकी सूची तैयार करने की प्रक्रिया को मोबाईल फोन या अन्य ईलैक्ट्रॉनिक यंत्र से वीडियो रिकोर्डिंग और फोटोग्राफी की जायेगी तथा रिकोर्डिंग को इलाका मौजिस्ट्रेट को भेजा जायेगा।
7. गवाह सुरक्षा का प्रावधान।
8. हथकड़ी के प्रयोग का प्रावधान धारा 43 (3) के अनुसार अपराध की गम्भीरता को देखते हुये किया जा सकता है।
9. फोरेन्सिक विशेषज्ञ का 7 साल या इससे ज्यादा सजा के अपराधों में घटनास्थल से फोरेन्सिक साक्ष्यों को अनिवार्य इकठ्ठा करने का प्रावधान।

BNSS - प्रावधान

गिरफ्तारी संबंधित

धारा 35 वारन्ट के बिना पुलिस कब गिरफ्तार कर सकेगी।

- ◆ जब कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करता है। तब उस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश या वारन्ट के बिना गिरफ्तार कर सकता है।
- ◆ पुलिस अधिकारी ऐसे अन्य सभी मामलों में जिनमें उपधारा (1) के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, उस व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्देश जारी करेगा।
- ◆ जिन अपराधों में सजा 3 साल से कम है और आरोपी गम्भीर बिमारी से पीड़ित है या 60 वर्ष से अधिक आयु का है ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी पुलिस उपनिरीक्षक (DSP) की अनुमति से ही की जा सकेगी।

धारा 36 गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य।

- ◆ प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय-अपने नाम व रैंक की सही व स्पष्ट पहचान धारण करेगा।
- ◆ फर्द गिरफ्तारी तैयार करके उस पर एक गवाह और गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाएगा।

धारा 38 गिरफ्तार किए गये व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपनी पंसद के वकील से मिलने का अधिकार है।

- ◆ पुलिस पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति अपनी पंसद के वकील से मिलने का हकदार है, परन्तु सम्पूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं।
- ◆ यदि 24 घण्टे के अन्दर ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति का नाम व पता सुनिश्चित नहीं किया जा सकता तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।

धारा 43 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी।

- ◆ गिरफ्तार करने के दौरान पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति के शरीर को छू कर और बोलकर, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा।
- ◆ महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जायेगी तथा विकट परिस्थितियों के अलावा पुरुष पुलिस अधिकारी महिला को नहीं छू सकता।
- ◆ पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति व गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए किसी आदतन अपराधी, आंतकवादी गतिविधि या ड्रग्स से सम्बन्धित अपराध, एसिड अटैक, करेंसी नोट का कूटकरण, मानव तस्करी, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध या राज्य के विरुद्ध अपराध किया हो तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय या न्यायालय के सामने पेश करते समय पुलिस अधिकारी हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है।
- ◆ अगर महिला दोषी की गिरफ्तारी विकट परिस्थितियों या किसी मजबुर हालातों में रात के समय करनी हो, तो उन हालातों में मेजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की लिखित अनुमति के साथ ही की जाएगी।

धारा 44 उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति छिपा हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी की जानी है।

- ◆ किसी पुलिस अधिकारी को या वारन्ट के अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति को यकिन है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है किसी स्थान में छिपा है या उस स्थान का निवासी है या उस अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति उस स्थान के अन्दर है, तो उस स्थान का मालिक, उस अधिकारी को तलाशी लेने के लिए उचित सुविधाएँ उपलब्ध करवाएगा।

धारा 47 गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण और जमानत के अधिकार की सूचना देना।

- ◆ पुलिस अधिकारी द्वारा जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उस व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण और जमानत के अधिकार के बारे में बताया जाएगा।

धारा 48 गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में उसके रिश्तेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता।

- ◆ पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसके किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में जहाँ गिरफ्तार व्यक्ति को रखा गया है के बारे में गिरफ्तार व्यक्ति के रिश्तेदार या मित्र या अन्य कोई जिसे गिरफ्तार व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की सूचना देना चाहे, दी जाएगी। अगर अपराध जमानतीय है तो उसको जमानत के अधिकार के बारे में बताया जाएगा।

धारा 52 बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जाँच।

- ◆ जब किसी व्यक्ति को बलात्कार या बलात्कार का प्रयत्न करने के अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी चिकित्सा परीक्षा Registered Medical Practitioner के द्वारा, पुलिस अधिकारी द्वारा निवेदन करने पर की जाएगी।
- ◆ चिकित्सा व्यवसायी बिना किसी देरी के रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट में अभियुक्त की सभी जानकारी व D.N.A. प्रोफाइल के लिए गए सैम्पल की सामग्री का वर्णन करेगा। और बिना किसी देरी के रिपोर्ट तैयार करके तफ्तीशी अधिकारी को भेजेगा।

धारा 53 गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा जाँच।

- ◆ चिकित्सा अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति की जाँच की जाएगी और उसकी तैयार की गई रिपोर्ट की एक कॉपी गिरफ्तार व्यक्ति या उसके द्वारा बतलाए गए व्यक्ति को दी जाएगी।
- ◆ यदि गिरफ्तार व्यक्ति महिला है तो उसकी शारीरिक जाँच , महिला चिकित्सा अधिकारी से करवाई जाएगी।

धारा 55 जब पुलिस अधिकारी वारन्ट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को नियुक्त करता है तब प्रक्रिया।

- ◆ पुलिस थाने का थाना प्रभारी अपने अधीन किसी अन्य पुलिस अधिकारी को लिखित आदेश देकर, किसी व्यक्ति को बिना वारन्ट के गिरफ्तार करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

धारा 56 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा।

- ◆ अभियुक्त को हिरासत में रखने वाले अधिकारी का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य व सुरक्षा की उचित देखभाल करेगा।

धारा 57 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या थाना प्रभारी के समक्ष पेश करना।

- ◆ बिना वारन्ट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला अधिकारी बिना देरी के थाना प्रभारी या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा।

धारा 58 गिरफ्तार किए गये व्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा।

- ◆ बिना वारन्ट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घण्टे के अन्दर मेजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।

धारा 61 हिरासत से भागने पर पीछा करने और पकड़ लेने की शक्ति।

- ◆ यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्वक हिरासत से भागता है या छुड़ा लिया जाता है, तो उसको तुरन्त पीछा करके भारत के किसी भी स्थान से गिरफ्तार किया जा सकता है।

धारा 62 गिरफ्तारी संहिता में दिए गए प्रावधान के अनुसार ही की जाएगी।

- ◆ कोई भी गिरफ्तारी इस संहिता के उपबन्धों या किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अनुसार ही की जाएगी।

पुलिस की जाँच करने की शक्तियाँ

(BNSS - प्रावधान)

INVESTIGATION POWERS OF POLICE

(Now Section 173 to 193 BNSS earlier Section 154 to 173 CrPC)

धारा 173 पुलिस को इत्तलाह और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ।

- ◆ संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर क्षेत्र पर विचार किये बिना Zero-FIR दर्ज की जायेगी।
- ◆ मौखिक या इलैक्ट्रोनिक माध्यम से संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर कार्यवाही की जायेगी।
- ◆ सूचना मौखिक दी गई है तो Written में लिखा जाएगा व शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। अगर इलैक्ट्रोनिक माध्यम से दी गई है तो शिकायतकर्ता के 3 दिन के अंदर हस्ताक्षर करवाए जायेंगे।
- ◆ यदि अपराध धारा 64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,77,78,79, & 124 का है तो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी महिला अधिकारी द्वारा ब्यान लिखे जाएंगे। यदि उपरोक्त धारा के लिये पीडित महिला स्थाई या अस्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से (disable) असक्षम व विशक्त है तो उसके निवास स्थान या सुगम स्थान पर ब्यान लिखे जाएंगे तथा इसे किसी द्वाभाषिय या विशेष प्रबोधक की हाजरी में लिखा जाएगा।
 - इस इत्तलाह के अभिलेख की Videography की जाएगी।
 - धारा 183(6) के अनुसार जितनी जल्दी हो सके, न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उस व्यक्ति के ब्यान को पुलिस अधिकारी अभिलिखित करवाएगा।
- ◆ FIR की कापी शिकायतकर्ता व पीडित व्यक्ति को मुफ्त में दी जायेगी।
- ◆ धारा 175 के तहत अन्वेषण के दौरान जहाँ किसी अपराध की सजा 3 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 7 साल से ज्यादा ना हो तो थाना प्रबंधक मामले की प्रकृति वा गम्भीरता को देखते हुऐ उपपुलिस अधिक्षक (DSP) की पूर्व अनुमति से 14 दिन की प्राथमिक जाँच के आदेश लेगा।
- ◆ अगर थाना प्रभारी धारा 173(1) के तहत कार्यवाही करने, जाँच में देरी या इनकार करता है तो पीडित व्यक्ति पुलिस अधीक्षक को अपनी शिकायत दे सकता है या वह व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास भी अपनी शिकायत दे सकता है।

असंज्ञेय अपराधों की सूचना व कार्यवाही

धारा 174 असंज्ञेय अपराधों की सूचना व कार्यवाही।

- ◆ असंज्ञेय अपराध में सूचना की DDR दर्ज की जायेगी। व सूचना देने वाले को Court में जाने का निर्देश देना होगा।
- ◆ ऐसे सभी मामलों की DDR रिपोर्ट 15 दिन के अन्दर मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी।
- ◆ मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण अधिकारी असंज्ञेय अपराधों की जाँच नहीं करेगा।
- ◆ अगर दो मामलों में से एक अपराध संज्ञेय है व दूसरा असंज्ञेय है तो उसे संज्ञेय अपराध की तरह ही अन्वेषण किया जायेगा।

धारा 175 संज्ञेय मामलों में तफतीश करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।

- ◆ थाना प्रभारी अपने थाने की सीमाओं के अन्दर संज्ञेय अपराधों में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण कर सकता है।
- ◆ धारा 210 के तहत मजिस्ट्रेट धारा 173 (4) के तहत, शिकायत पर विचार करने के बाद अन्वेषण या तफतीश करने के लिये पुलिस अधिकारी को आदेश दे सकता है।

धारा 176 अन्वेषण की प्रक्रिया

- ◆ यदि थाना प्रभारी को कोई सूचना प्राप्त हो या कोई संदेह हो कि कोई अपराध हुआ है जिसकी धारा 175 के तहत वह तफतीश करने का अधिकार रखता है इसकी तत्काल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा जो उस मामले में संज्ञान के लिये सशक्त है और अन्वेषण करेगा या अपनी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने के लिये नियुक्त करेगा।
- ◆ अगर थाना प्रभारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिये पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उस मामले में तफतीश नहीं करेगा।
- ◆ यदि अपराध बलात्कार से संबंधित है तो पीड़िता का कथन उसके निवास स्थान पर या उसके पसंद के स्थान पर किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या उसके माता पिता या संरक्षक या इलाका के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में दर्ज किया जायेगा तथा इसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम व मोबाईल फोन से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है।
- ◆ यदि अपराध जिसमें सज़ा 7 साल या उससे अधिक हो तो फोरेन्सिक विशेषज्ञ की टीम को मौका पर फोरेन्सिक साक्ष्य इकट्ठा करने के लिये बुलाया जायेगा।
- ◆ इस सब की वीडियोग्राफी मोबाईल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के माध्यम से करवाई जायेगी।

धारा 177 रिपोर्ट कैसे दी जायेगी

- ◆ मजिस्ट्रेट को धारा 176 के अधीन भेजी जाने वाली रिपोर्ट किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से दी जायेगी।
- ◆ मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट बिना देरी के भेजी जाएगी।

धारा 178 तफतीश या प्रारम्भिक जाँच की शक्ति

- ◆ धारा 176 के अधीन अगर कोई रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगी तो वह उसकी जाँच व निपटारा खुद या किसी अन्य व्यक्ति को तफतीश या प्रारम्भिक जाँच करने का निर्देश दे सकता है।

धारा 179 गवाहों को हाजिर करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति

- ◆ गवाहों को लिखत आदेश से बुलाया जा सकता है परंतु 15 वर्ष से कम आयु के बालक व 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति या महिला या मानसिक वा शारीरिक रूप से असक्षम या गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के ब्यान उनके घर पर ही लिखे जायेंगे व अन्य स्थान पर नहीं बुलाया जायेगा।
- ◆ अगर कोई गवाह अपनी मर्जी से पुलिस थाना में आना चाहे तो उसे रोका नहीं जायेगा।

धारा 180 पुलिस द्वारा गवाहों की परीक्षा या जाँच

- ◆ पुलिस अधिकारी उन गवाहों के ब्यान लिखेगा जिसको उस मुकदमा के तथ्यों व हालातों की जानकारी हो।
- ◆ महिला संबंधित अपराधों में धारा 64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,78,79 व 124 के तहत अपराधों के ब्यान महिला पुलिस अधिकारी या अन्य महिला अधिकारी द्वारा ही दर्ज किए जाएंगे।

धारा 182 गवाह को प्रलोभन व धमकी न देना।

- ◆ गवाह को किसी प्रकार का प्रलोभन, inducement व धमकी या promise नहीं किया जाएगा।

धारा 183 इकबालिया ब्यान व ब्यानो का Magistrate द्वारा Record करना।

- ◆ इकबालिया ब्यान मैजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे तथा ऐसा ब्यान अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में इलैक्ट्रोनिक माध्यम से भी करवाया जा सकता है।
- ◆ ऐसे मामले धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 & 124 के अपराध में Statement Recording महिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। यदि महिला मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं होगी तो Male Magistrate एक महिला की उपस्थिति में ब्यान दर्ज

करेगा।

- ◆ ऐसे अपराध जिसमें सजा 10 साल या इससे अधिक कारावास या आजीवन या मृत्युदण्ड से दण्डनीय है उन अपराधों में पुलिस द्वारा गवाह का ब्यान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाना अनिवार्य है।

धारा 184 बलात्कार के पीड़ित की डॉक्टरी जाँच

- ◆ बलात्कार से पीड़ित महिला की डाक्टरी जाँच 24 घंटे के अंदर Registered Medical Practitioner द्वारा पीड़ित महिला की सहमति या उसकी और से सहमती देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमती से की जाएगी।
- ◆ Registered Medical Practitioner बिना विलम्ब के पीड़िता की जाँच करेगा व 7 दिन के अन्दर ऐसी जाँच की रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा जो धारा 193(6) के तहत दस्तावेज के रूप में मानी जाएगी।

धारा 185 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी

- ◆ पुलिस अधिकारी अन्वेषण के दौरान अपने थाना के इलाके में Search कर सकता है तथा ऐसी Search को इलैक्ट्रोनिक माध्यम जैसे कि मोबाईल फोन से Record करेगा व इसका इसके बारे case dairy में दर्ज करेगा।
- ◆ इस तलाशी की रिपोर्ट 48 घंटे के अन्दर मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी और जिस जगह की खोज की गई है उस जगह के मालिक व possession रखने वाले व्यक्ति को search article की लिस्ट की copy मुफ्त में मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जाएगी।

धारा 186 पुलिस अधिकारी द्वारा दूसरे के अधिकार क्षेत्र में तलाशी लेने की प्रक्रिया

- ◆ जब कोई अन्वेषण अधिकारी जो Sub-Insp rank से कम ना हो, दूसरे थाने के क्षेत्राधिकार में सर्च करेगा तो सर्च नोटिस की इत्तलाह concerned पुलिस थाना प्रभारी को भेजेगा जिसके इलाका में सर्च हुई है व इसके साथ लिस्ट की कापी भी भेजेगा।
- ◆ उस जगह के मालिक या Possession रखने वाले व्यक्ति को सामान की सूची मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाएगी।

धारा 187 जब 24 घंटे के अन्दर तफतीश की प्रक्रिया पूरी न हो।

- ◆ जब तफतीशी अधिकारी किसी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध में गिरफतार करता है और उसे लगता है कि मुकदमा की तफतीश 24 घंटे में पूरी नहीं की जा सकती तो वह पुलिस अधिकारी गिरफतार किए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा व उसकी custody की दरखास्त करेगा जो कि 15 दिन से ज्यादा नहीं होगी। परंतु अब यह Custody समय शुरुआती 40 दिन/60 दिन के अंदर लिया जा सकता है जहाँ मुकदमा 60 दिन / 90 दिन के अनुसार पेश करना अनिवार्य हो।

धारा 188 अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण रिपोर्ट

- ◆ अगर तफतीश अधीनस्थ अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा की गई हो तो तफतीश के परिणाम की रिपोर्ट थाना प्रभारी को दी जाएगी।

धारा 189 सबूतों की कमी होने के कारण दोषी की रिहाई।

धारा 190 प्रयाप्त साक्ष्य (Sufficient evidence) होने पर मुकदमों को मेजिस्ट्रेट के पास Trial के लिए भेजना।

धारा 191 शिकायतकर्ता व गवाहों को पुलिस के साथ कार्ट में जाने की अपेक्षा न करना।

धारा 192 तफतीश में कार्यवाही की केस डायरी या जिमनी

- ◆ प्रत्येक पुलिस अधिकारी अपने मुकदमा में दिन-प्रतिदिन की तफतीश की रिपोर्ट जिमनी में दर्ज करेगा।

धारा 193 तफतीश पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट—

- ◆ प्रत्येक पुलिस अधिकारी अपने मुकदमा की तफतीश की रिपोर्ट बिना देरी निर्धारित समय में पूरी करेगा।
- ◆ अपराध Clause 64,65,66,67,68,70,71, of BNS 2023 और अपराध धारा 4,6,8, & 10 की POCSO अधिनियम 2012 से संबंधित केसों की रिपोर्ट अपराध दर्ज होने के दिनांक से 60 दिन के अंदर कोर्ट में पेश करेगा।
- ◆ धारा 230 BNSS के अनुसार प्रत्येक तफतीशी पुलिस अधिकारी मुलजिम के लिये चालान की एक कापी अलग से तैयार करेगा।
- ◆ प्रत्येक पुलिस अधिकारी 90 दिन की अवधि के अन्दर अपने मुकदमा की तफतीश की प्रगति रिपोर्ट इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना देने वाले को या पीडित व्यक्ति को देगा।
- ◆ धारा 193 (9) के अनुसार यदि मुकदमा का चालान कोर्ट में देने के बाद कोई तफतीश बकाया है तो कोर्ट की अनुमति के साथ 90 दिन में पूरी करनी होगी और फिर भी यदि तफतीश पूरी नहीं हुई है तो कोर्ट की अनुमति के साथ आगे भी की जा सकती है।



सत्यमेव जयते

